प्रेषक,

प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता,
रुद्रप्रयाग।

सेवामें,

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग ।

पत्रांकः–449 /भूमि ह0 / 2022–23 दिनांकः 20 फरवरी, 2023

विषयः–राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग के निर्माण हेतु 02 हैक्टेयर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (PROPOSAL NO- FP/UK/OTHERS/44711/2020) में लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के फाइल सं0 8बी / यू.सी.पी. / 09 / 140 / 2021 / एफ0सी0 / 1056 दिनांक 01 / 11 / 2022 के द्वारा प्रेषित पत्र में बिन्दु संख्या–1 से बिन्दु संख्या 06 के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी है। उक्त बिन्दुओं की सूचना जिनका निराकरण कर इस पत्र से साथ प्रेषित किया जा रहा है ।

अतः उक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार ।

क्र0 स0	आपत्ति / कमियाँ	निराकरण
1.	In reply to point no,I Justification provided for proposing a non site-specific project In forest land is not sufficient. The State Govt. should provide the category- wise distribution of the area of the district (RF, Civil Soyam, Van panchayat, Revenue, private, etc). The State Government is also requested to submit provide the land –use of the district and a proper justification ad to why the project could not be taken at any other place in the district	Revised Justification is uploaded in online proposal at para D of part–I and same is uploaded in online proposal at additional documents and it is submitted in this letter at attachment at no 1. Certificate related for Category Wise Area of Land for District Rudraprayag is uploaded in online Proposal at additional documents and same is submitted in this letter at attachment no. 1. All supporting documents related to this query are **attached at attachment no. 1.** **Attachment No-01**

2	In reply to point no.2. Residential component is given in the component-wise break –up, which may not be allowed on forest land. State Govt. is requested to ensure the necessary correction in the details provided in the component wise breakup at para B 2.4in part-I	Residential building will not be constructed in the proposed land. Component wise breakup is revised and uploaded at para B 2.4 in part I. Document related to this query is attached in this letter at attachment 2. **Attachment No-02**
3	In reply to point no 3, layout plan still not submitted .State Government is again requested to submit the layout plan and activity details of each polygon/patch separately	Layout plan and activity details of each patch is submitted in this letter at attachment no 3 and same is uploaded in online proposal at additional documents. **Attachment No-03**
4	In reply to point no 4, the justification provided is does not seem to be proper. State Government is requested to submit the clarificationin this regard	Revised Justification is uploaded in online proposal at para D of part–I and same is uploaded in online proposal at additional documents and it is submitted in this letter at attachment at no 4. All supporting documents related to this query are **attached at attachment no. 1.**
5	In reply to point no 5, violation is reported after observation raised by this office. If the existing building was constructed before uploading the proposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.	This query is replied at the level of Divisional Forest Office Rudraprayag.
6	Regarding point No. 10 of this office EDS letter, the reply indicates that the State Govt. has made no efforts in avoiding forest land for the proposed non site-specific activity. However, alternatives must have been explored by the State Govt. The State Govt is requested to submit the clarification and necessary information in this regard.	This query is replied at the level of Divisional Forest Office Rudraprayag.

OS प्रतियां प्राप्त की
21/02/2023

भवदीय,

(विकास भट्ट)
समन्वयक / प्रधानाचार्य
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
घोपता रुद्रप्रयाग

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी. / यू.सी.पी. / 09 / 140 / 2021 / एफ0 सी0 / 1056 दिनांकः 01 / 11 / 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत नव सिर्जित राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता (कूड़ादानकोट) में राजकीय पॉलिटेक्निक, चोपता के निर्माण हेतु 2.00 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राजकीय पॉलिटेक्निक, चोपता, रूद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। **(Online No. FP/UK/Others/44711/2020)**

सन्दर्भः–कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – **1012 / FP/UK/ Others/44711/2020 दिनांक 15-10-2022**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 07.01.2022 का उत्तर राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन उपरान्त प्रस्ताव में कुछ त्रुटियाँ पाई है। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नाँकित बिन्दु पर अभिलेख / दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें :–

1. In reply to point no. 1, justification provided for proposing a non site-specific project in forest land is not sufficient. The State Govt. should provide the category-wise distribution of the area of the district (RF, Civil Soyam, Van Panchayat, Revenue, Private, etc.). The State Government is also requested to submit provide the land-use of the district and a proper justification as to why the project could not be taken at any other place in the district.
2. In reply to point no. 2, Residential component is given in the component-wise break-up, which may not be allowed on forest land. State Govt is requested to ensure the necessary correction in the details provided in the component wise breakup at para B 2.4 in Part I.
3. In reply to point no. 3, layout plan still not submitted. State Government is again requested to submit the layout plan and activity details of each polygon/ patch separately
4. In reply to point no. 4, the justification provided is does not seem to be proper. State Government is requested to submit the clarification in this regard.

5. In reply to point no. 5, violation is reported after observation raised by this office. If the existing building was constructed before uploading the proposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.
6. Regarding point No. 10 of this office EDS letter, the reply indicates that the State Govt. has made no efforts in avoiding forest land for the proposed non site-specific activity. However, alternatives must have been explored by the State Govt. The State Govt is requested to submit the clarification and necessary information in this regard.

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे) 01-11-22
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

ATTACHMENT-01

Attachment-01

परियोजना का नाम :– जनपद रुद्रप्रयाग के विद्यानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु 100 नाली अर्थात 2.00 हे0 भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

परियोजना का औचित्य

मा0 अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 790/XLI-1/2013-79/13 दिनांक 22 अगस्त 2013 के द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के विद्यानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पालीटेक्निक संस्थान की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है, उक्त शासनादेशों की प्रतियां प्रस्ताव में संलग्न की जा रही है।

परियोजना का वन पंचायत भूमि में निर्माण किये जाने का औचित्य निम्नवत है –

- ❖ मा0 अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 790/XLI-1/2013-79/13 दिनांक 22 अगस्त 2013 के द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के विद्यानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पालीटेक्निक संस्थान के निर्माण हेतु वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है, उक्त स्वीकृति के अनुसार पालीटेक्निक का निर्माण चोपता (कुण्डादानकोट, तल्लानागपुर) स्थान में ही किया जाना है। उक्त प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त भूमि भी तलाशी गयी किन्तु क्षेत्र के आस–पास ग्राम स्तर पर निजि भूमि ,राजस्व भूमि, वन पंचायत भूमि इस परियोजना हेतु उपर्युक्त एवं उचित नही मिल पाई जिस कारण वन भूमि (सिविल सोयम भूमि) में ही उपर्युक्त एवं उचित एवं निकटवर्ती भूमि में ही पालीटेक्निक का निर्माण करवाया जाना अपरिहार्य है। (शासनादेश संलग्न व छाया प्रति संलग्न)
- ❖ जनपद रुद्रप्रयाग के अर्न्तगत कुल वन पंचायत भूमि, कुल राजस्व व सिविल सोयम भूमि, कुल निजि भूमि तथा कुल आरक्षित वन भूमि के क्षेत्रफल का विवरण निम्नवत है ।

क्र0 स0	त्हसील	कुल वन पंचायत भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर0मे0)	कुल राजस्व व सिविल सोयम भूमि का क्षेत्रफल. (हैक्टेयर0मे0)	कुल निजी भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर0मे0)	कुल आरक्षित वन का क्षेत्रफल (हैक्टेयर0मे0)
01	**रुद्रप्रयाग**	7464.036	8852.540	8656.982	127838.26
2	**जखोली**	667.889	3367.723	4351.768	
3	**ऊखीमठ**	10413.495	984.380	4758.030	
4	**ब्सुकेदार**	909.228	2093.053	2541.564	
5	**कुल क्षेत्रफल जिला–रुद्रप्रयाग**	19454.648	15297.696	20308.344	

उक्त परियोजना हेतु तल्लानागपुर क्षेत्र में निजी स्तर पर, ग्राम क्षेत्र में, राजस्व क्षेत्र में उपयुक्त एवं उचित भूमि उपलब्ध न होने के कारण ही परियोजना का निर्माण चयनित स्थल कुण्डादानकोट में किया गया । (प्रमाण पत्र संलग्न)

- ❖ जनपद का लगभग 80 प्रतिशत भू–भाग वन भूमि की परिधि में आता है एवं जिस पर वन अधिनियम लागू होता है, बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु अन्य कोई भूमि उपलब्ध न होने के कारण उक्त

सिविल सोयम भूमि चयन अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है। जिस हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत गठित कर, स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

- ❖ वन विभाग, राजस्व विभाग व प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा भी प्रस्तावित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें उपलब्ध भूमि पॉलीटेक्निक के निर्माण हेतु उपयुक्त एवं उचित पायी गयी है । (छायाप्रति संलग्न)
- ❖ A.I.C.T.E. के मानकानुसार ग्रामीण स्तर पर पालीटेक्निक की स्थापना हेतु कुल 1.62 (02 Approx) है0 या उससे अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। चूकि चयनित स्थल में 02 है0 भूमि की उपलब्धता एक Patch में नही हो पाई इसलिए मानको को पूर्ण करने हेतु उक्त भूमि कुल तीन अलग–अलग Patches में चयनित की गयी है।

TOTAL AREA (IN HECTARE)	PATCH NO I	PATCH NO II	PATCH NO III	Total
	1.10	0.04	0.860	2.00

उक्त प्रस्तावित कुल 2.00 है0 भूमि का सम्पूर्ण क्षेत्रफल ले–आउट प्लान में दर्शाया गया है ।

- ❖ संस्था निर्माण हेतु चयनित भूमि के तीनों Patches आस–पास है, जिनकी पारस्परिक दूरी Patch wise निम्नवत है

क्र0स0	Patches का विवरण	दूरी
01	PATCH NO I से PATCH NO II	लगभग 200 मीटर
02	PATCH NO II से PATCH NO III	लगभग 1.3 किमी0
03	PATCH NO I से PATCH NO III	लगभग 1.0 किमी0

- ❖ संस्था निर्माण हेतु चयनित तीनों Patches अधिक दूरी पर स्थित नही है। चूंकि Patch I में Building I का निर्माण Phase I में होना है। तथा Patch III में Building II का निर्माण कार्य प्रस्ताव के Phase II में होना है। अतैव Patch III की भूमि उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु उपर्युक्त एवं उचित है, Patch I व Patch II के आस–पास 1 किमी0 की रेंज में Patch III हेतु उपर्युक्त एवं उचित संसाधनों युक्त भूमि उपलब्ध नही है। उपयुक्त एवं उचित भूमि की उपलब्धता उपरोक्त 03 Patches में ही सम्भव हो पाई है।
- ❖ पूर्व में Patch I (1.10 है0) Building I (1120 Sqm) पर त्रुटिवश निर्माण कार्य शुरु किया गया, जिसकी सूचना मिलते ही निमाण कार्य रोक दिया गया था। आतिथि तक निमार्ण कार्य पूर्णतः रूका हुआ है। पालीटेक्निक का निर्माण उ0प्र0रा0निर्माण निगम लि0 के द्वारा किया जाना है, संस्था द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी पत्र निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु जारी नही किया गया है। निर्माणकारी संस्था द्वारा बिना किसी पूर्व आदेश एवं सूचना के ही patch I मे निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था, मामला संज्ञान में आने पर तत्कालीन प्रधानाचार्य द्वारा भी बार–बार निर्माण एजेन्सी को पत्र लिखकर भूमि हस्तांतरण के पश्चात ही निर्माण कार्य शुरु किये जाने हेतु कहा गया, वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्युमिनि वन क्षेत्र के पत्रांक 260/12 दिनांक 23 अक्टूबर 2015 के द्वारा संस्था को बिना भूमि हस्तांतरण के निर्माण कार्य कराये जाने का स्पष्टीकरण मांगा गया है एवं तत्कालीन प्रधानाचार्य द्वारा निर्माण एजेन्सी को पत्र लिखकर वनविभाग के द्वारा लगाये गए आपत्ति से अवगत कराया गया एवं तत्काल ही निर्माण कार्य रोकने को कहा गया । वन विभाग के द्वारा आपति लगाये जाने के पश्चात कोई भी निर्माण कार्य नही करवाया गया एवं आतिथि तक निर्माण कार्य रुका हुआ है । (छायाप्रति संलग्न)

- चयनित भूमि के आस–पास उचित एवं उपयुक्त गैर वन भूमि उपलब्ध नही है एवं आस–पास के ग्राम स्तर पर, राजस्व स्तर पर, निजी स्तर पर भूमि की तलाश की गई, परन्तु निकटवर्ती स्थलो में पालीटेक्निक की स्थापना हेतु उचित एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नही पायी गयी। आस–पास के 4 ग्राम प्रधानों द्वारा हस्ताक्षरित उपयुक्त निजि भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र, राजस्व भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र इस समबन्ध में संलग्न किये गये हैं । (छायाप्रति संलग्न)
- पालीटेक्निक के निर्माण हेतु कुण्डादानकोट क्षेत्र मे अन्य कोई निजी भूमि उपलब्ध न होने के कारण सिविल एवं सोयम भूमि की स्वीकृति लेने के अलावा और कोई विकल्प शेष नही है। जिला प्रशासन द्वारा चोपता के निकट ही ग्राम कुण्डादानकोट नामक स्थान पर भूमि का चयन किया गया है, जो कि वर्तमान में वन पंचायत का हिस्सा है तथा रुद्रप्रयाग वन प्रभाग की कुण्डादानकोट राजि के अन्तर्गत आता है।
- पालीटेक्निक के निर्माण हेतु आस–पास के ग्राम स्तर पर कोई निजी भूमि उपलब्ध नही है। (छायाप्रति संलग्न)
- पालीटेक्निक के निर्माण हेतु राजस्व क्षेत्र में गैर वानिकी स्तर पर कोई भूमि उपलब्ध नही है। (छायाप्रति संलग्न)
- उक्त चयनित वन भूमि मोटर मार्ग के किनारे स्थित है एवं साथ ही बिजली, पानी की भी उपलब्धता है। जिससे पालीटेक्निक में अध्ययन करने वाले छात्र–छात्राओं, अध्यापकों एवं स्टॉफ को यातायात, बिजली एवं पानी की भी सुविधा प्राप्त होगी।
- चयनित स्थल का भू–वैज्ञानिक द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा भी प्रस्तााावित स्थल को पालीटेक्निक के भवनों के निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया । (छायाप्रति संलग्न)
- चयनित सिविल सोयम भूमि पालीटेक्निक के निर्माण हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित करने में समस्त ग्रामवासी भी सहमत है।
- पालीटेक्निक का निर्माण चोपता (तल्लानागपुर) स्थान मे ही किया जाना है, जिससे इसके आस–पास के छात्र –छात्राओं को तकनीकी शिक्षा का लाभ मिलेगा, एवं रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेगें ।
- पालीटेक्निक के निर्माण होने के पश्चात उपरोक्त वन भूमि विकसित होगी, जिससे वन्य क्षेत्र को लाभ प्राप्त होगें ।
- उपरोक्त सभी कारणों से चयनित स्थल पालीटेक्निक के निर्माण के लिए अति उपयुक्त पाया गया है।

ह0/

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुदप्रयाग ।

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग।

ह0/

प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता
रुद्रप्रयाग।

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत कुल वन पंचायत भूमि, कुल राजस्व व सिविल सोयम भूमि, कुल निजि भूमि तथा कुल आरक्षित वन भूमि के क्षेत्रफल का विवरण निम्नवत है ।

क्र0 स0	तहसील	कुल वन पंचायत भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर0मे0)	कुल राजस्व व सिविल सोयम भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर0मे0)	कुल निजी भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर0मे0)	कुल आरक्षित वन का क्षेत्रफल (हैक्टेयर0मे0)
01	**रुद्रप्रयाग**	7464.036	8852.540	8656.982	127838.26
2	**जखोली**	667.889	3367.723	4351.768	
3	**ऊखीमठ**	10413.495	984.380	4758.030	
4	**बसुकेदार**	909.228	2093.053	2541.564	
5	**कुल क्षेत्रफल जिला–रुद्रप्रयाग**	19454.648	15297.696	20308.344	

ह0/–

जिलाधिकारी

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

ह0/–

उपवन संरक्षक

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग।

ह0/–

प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
कोपता रुद्रप्रयाग

1 AC
SAO
17/1/23

प्रेषक,

तहसीलदार
रूद्रप्रयाग।

सेवामे,

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग।

संख्या– 178 / र0का–विविध / 2022–2023 दिनांक रूद्रप्रयाग 12 जनवरी, 2023।

विषय राजकीय पोलिटैक्निक चोपता के निर्माण हेतु 2.00 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक जिला कार्या0 के पत्र संख्या–1346 / छ0ओ0–24 / 2018–19 दिनांक 19 दिसम्बर 2022 के क्रम में तहसील रूद्रप्रयाग से चाही गई सूचना निम्न प्रकार से है–

क्र0 सं0	तहसील का नाम	कुल सिविल सोयम भूमि का क्षेत्रफल	कुल वन पंचायत का क्षेत्रफल (है0 में)	कुल राजस्व भूमि का क्षेत्रफल (है0 में)	कुल निजी भूमि का क्षेत्रफल (है0 में)
1	रूद्रप्रयाग	—	7464.036	8852.540	8656.982

अतः चाही गई सूचना सादर प्रेषित।

भवदीय,
(signature)
तहसीलदार
रूद्रप्रयाग।

क्र0 334/ E.AK-विविध प0ना 13(1)
12-01-2023 व/LAC

प्रेषक,

तहसीलदार,
जखोली।

सेवामें,

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग।

द्वारा उप जिलाधिकारी जखोली।

DM 10/01/23

संख्या :– 551 /र0का0–विविध /2022 दिनांक जखोली जनवरी 09, 2023

विषय– राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता के निर्माण हेतु 2.00 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 1345 / छब्बीस–24 / (2018–19) दिनांक रूद्रप्रयाग दिसम्बर 19, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा सिविल सोयम भूमि वन पंचायत, राजस्व तथा निजी भूमि का क्षेत्रफल उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के कम में राजस्व निरीक्षक भरदार एवं जखोली से आख्या प्राप्त की गयी राजस्व निरीक्षक भरदार एंव बडमा से प्राप्त आख्या के आधार पर विवरण निम्नवत है।

तहसील जखोली अन्तर्गत चाही गयी भूमि का विवरण :–

तहसील का नाम	सिविल सोयम भूमि का क्षेत्रफल	वन पंचायत भूमि	राजस्व भूमि का क्षेत्रफल (जिस पर कृषि अनिश्चित हो)	निजी भूमि का क्षेत्रफल
जखोली	429.162	667.889	2938.561	4351.768

अतः आख्या महोदय की सेवामें प्रेषित।

संलग्न– यथोपरि

भवदीय

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार
जखोली

महोदय,
तहसीलदार जखोली आख्या सादर
प्रेषित।
9.1.2023
S.D.M.
(J.)

प्रेषक

तहसीलदार,
ऊखीमठ।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
रूद्रप्रयाग।

संख्या – 1226 रा०का० / पी०भू० / (2022–23) दिनांक ऊखीमठ फरवरी 3, 2023।

विषयः– राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता के निर्माण हेतु 2.00है0 वन भूमि का हस्तान्तारण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी महोदय रूद्रप्रयाग के पत्र सं0–1346 / छब्बीस–24 / 2018–19 दिनांकः 19 दिसम्बर 2022 के क्रम में आपके द्वारा चाही गयी सूचना निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	तहसील का नाम	कुल सिविल सोयग भूमि का क्षेत्रफल	कुल वन पंचायत का क्षेत्रफल(है0में)	कुल राजस्व भूमि का क्षेत्रफल(है0में)	कुल निजी भूमि का क्षेत्रफल(है0में)
1	ऊखीमठ	--	10413.495	984.380	4758.030

अतः उक्तानुसार सूचना सादर सेवा में प्रेषित।

भवदीय,

तहसीलदार,
ऊखीमठ।

प्रेषक,

तहसीलदार,
बसुकेदार।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
रूद्रप्रयाग।

संख्या– 280 र0का0 / पॉ0भू0 / (2022–23)   बसुकेदार दिनांक   04 फरवरी 2023

विषय– राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता के निर्माण हेतु 2.00 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी महोदय रूद्रप्रयाग के पत्र संख्या–1345 / छब्बीस–24 / 2018–19 दिनांक 19 दिसम्बर 2022 के क्रम में आपके द्वारा चाही गयी सूचना निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर प्रेषित की जा रही है–

क्र0सं0	तहसील का नाम	कुल सिविल सोयम भूमि का क्षेत्रफल	कुल वन पंचायत का क्षेत्रफल (है0में)	कुल राजस्व भूमि का क्षेत्रफल (है0में)	कुल निजी भूमि का क्षेत्रफल (है0में)
1	बसुकेदार	—	909.228	2093.053	2541.564

अतः उक्तानुसार सूचना सादर सेवा में प्रेषित।

भवदीय

तहसीलदार,
बसुकेदार।

[redacted]

231।

संख्या– 790 / XLI-1 / 2013–79 / 13

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादून: दिनांक: 22 अगस्त, 2013

विषय– जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त संस्थान ए०आई०सी०टी०ई० के मानकानुसार संचालित किया जायेगा।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ए०आई०सी०टी०ई० के मानकानुसार 15 दिन के भीतर भूमि, भवन, पाठ्यक्रम एवं पदों का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक–यथोपरि।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को इस आशय के साथ प्रेषित कि पॉलीटेक्निक संस्थानों की स्थापना हेतु शहरी क्षेत्रों में 2.5 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। अतः सम्बन्धित स्थान को दृष्टिगत रखते हुये तत्काल निःशुल्क भूमि का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु।
3. अध्यक्ष, ए०आई०सी०टी०ई०, नई दिल्ली।
4. एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव।

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

[redacted]

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग की केदारनाथ विद्यानसभा अर्न्तगत चोपता (तल्लानागपुर) क्षेत्र में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु आस–पास के ग्राम स्तर पर कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है व चयनित वन भूमि (खसरा सं0 3308 मध्ये 0.040 हे0 भूमि, खसरा सं0 3391 मध्ये 0.700 हे0 भूमि, खसरा सं0 4158 मध्ये 0.400 हे0 भूमि, खसरा सं0 4059 मध्ये 0.860 हे0 भूमि) पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है, आवेदित 2.00 हे0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इसे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना संम्भव नही है ।

04.03.2022
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

प्रधान ग्राम पंचायत कुण्डा दानकोट
ह0...
दि0 04.03.22
अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग

प्रधान ग्राम पंचायत कोल्लू-मल्ला
ह0...
दि0 04.03.22
वि0 ख0— अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

प्रधान ग्राम पंचायत गोरणा
ह0...
दि0 04.03.22
अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग

प्रधान ग्राम पंचायत
ह0...
दि0 04.03.22
विकासखण्ड अगस्त्यमुनि (रुद्रप्रयाग)

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग की केदारनाथ विद्यानसभा अर्न्तगत चोपता (तल्लानागपुर) क्षेत्र में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु राजस्व क्षेत्र गैर वानिकी स्तर पर कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है व चयनित वन भूमि (खसरा स0 3308 मध्ये 0.040 हे0 भूमि, खसरा सं0 3391 मध्ये 0.700हे0 भूमि, खसरा सं0 4158 मध्ये . 0400 हे0 भूमि, खसरा सं0 4059 मध्ये 0.860 हे0 भूमि) पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है, आवेदित 2.00 हे0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इसे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नही है । सत्यापित

15/3/2022
रा० उ० नि०
चोपता।

CS

तहसीलदार
रुद्रप्रयाग

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना जनपद रुद्रप्रयाग की केदारनाथ विद्यानसभा के अर्न्तगत चोपता (तल्लानागपुर) में राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना हेतु अर्थात 2.00 है0 (वन सिविल भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव) के निर्माण हेतु ग्राम–कुण्डादानकोट की सिविल भूमि चयनित कि गयी है, उक्त भूमि के अतिरिक्त चयनित स्थल के आसपास ग्राम स्तरों (ग्राम–तडाग,गौरणा,कोलू–भन्नू, कुण्डा दानकोट) में उक्त परियोजना के निर्माण हेतु वृक्ष विहिन भूमि उपलब्ध कराने हेतु बैठक की गयी, जिसमे उक्त परियोजना हेतु अन्यंत्र उपयुक्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही पायी गयी। इसके अलावा राजस्व स्तर पर भी क्षेत्र के आस पास परियोजना के निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई।

अतः उक्त परियोजना हेतु चयनित 2.00 है0 सिविल भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।

ह0 / –

प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटैक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

राजस्व उपनिरीक्षक
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र–चोपता जाखणी
तहसील रुद्रप्रयाग
जनपद-रुद्रप्रयाग

तहसीलदार
तहसीलदार
(रुद्रप्रयाग)
रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
(रुद्रप्रयाग)
रुद्रप्रयाग

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
(रुद्रप्रयाग)
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र–8

परियोजना का नामः– जनपद रुद्रप्रयाग की केदारनाथ विधानसभा अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु। ल्गभग अर्थात 2 है० सिविल भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प को सर्वदा उपयुक्त पाया गया।
दो विकल्प प्राप्त हुये। द्वितीय विकल्प उचित पाया गया।

ह0 /
प्रभागीय वनाधिकारी

ह0 /
प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

तहसीलदार
रुद्रप्रयाग

नोट :–यह सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

प्रपत्र–9

परियोजना का नाम– जनपद रुद्रप्रयाग की केदारनाथ विधानसभा अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु 100नाली अर्थात 2है0 सिविल भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण व उनके निरस्त किये जाने का कारण का प्रमाण –पत्र

संरेखण नं0	प्रभावित वन भूमि (हे0 में)	प्रभावित वृक्षों की संख्या	मार्ग की लम्बाई	अन्य कारण (एच.पी.बैण्ड व अन्य भू–गर्भीय कारण)
संरेखण–1	2 है0	—	—	संयुक्त निरीक्षण में भूमि कम पायी गई।
संरेखण–2	2 है0	11	—	संयुक्त निरीक्षण में भूमि उपयुक्त पाई गई।
संरेखण–3	—	—	—	—

प्रथम प्रस्ताव के संयुक्त निरीक्षण में भूमि मानक से कम पाई गयी।

उक्त तीनों संरेखणों में से संरेखण–2– उपयुक्त है।

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी
उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग।
रुद्रप्रयाग

तहसीलदार
रुद्रप्रयाग

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी
प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

5.03.18

नोट :–यह सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

उत्तराखण्ड सरकार शासनादेश संख्या 790/XLI-1/2013-79/13 दिनांक 22 अगस्त 2013 के द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग के स्थान चोपता (तल्ला नागपुर) में राजकीय पॉलिटेक्निक की स्वीकृत प्राप्त होने पर इस पॉलिटेक्निक के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु राजस्व ग्राम कुण्डा दानकोट की सीमान्तर्गत सरकार केशर हिन्द नम्बर 3308,3319,4158 एवं 4059 मध्ये कुल हैक्टेयर भूमि चयनित की गयी है ।

जिलाधिकारी महोदय रूद्रप्रयाग के पत्रांक संख्या 1229 / छब्बीस–12(2012–13) दिनांक 27 जनवरी 2015 के अनुपालन में आज दिनांक 12–02–2015 को चयनित भूमि का संयुक्त निरीक्षण याचक विभाग के प्रतिनिधि श्री ए0के0एस0 गौड़, प्रधानाचार्य / समन्वयक राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता (रूद्रप्रयाग) के साथ वन विभाग के प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र सिंह नेगी, वन दरोगा घितोली, श्री लक्ष्मी प्रसाद मैठाणी राजस्व उप निरीक्षक चोपता के साथ श्री एम0एल0 भेतवाल तहसीलदार रूद्रप्रयाग द्वारा किया गया । संयुक्त निरीक्षण में चयनित भूमि प्रस्तावित प्रयोजन हेतु उपयुक्त एवं उचित पायी गयी है ।

उपरोक्त प्रस्तावित भूमि में 10 से 70 सेमी0 गोलाई के 9 पेड़ चीड़ के तथा 10 से 40 से0मी0 गोलाई के दो पेड़ सुरई के स्थित होने पाये गये । वनक्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रति संलग्न है ।

अतः रिपोर्ट मौके पर कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

(लक्ष्मी प्रसाद मैठाणी)
राजस्व उप निरीक्षक
चोपता

(राजेन्द्र सिंह नेगी)
वन दरोगा, धिमतोली

राजि0 अधिकारी
वन विभाग रूद्रप्रयाग

(एम0एल0 भेतवाल)
तहसीलदार
रूद्रप्रयाग

(ए0के0एस0 गौड़)
प्रधानाचार्य
रा0पा0 चोपता रूद्रप्रयाग

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

उपजिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

33

प्रपत्र–4

परियोजना का नाम :– राजकीय पालीटेक्निक-चोपता (तल्लानागपुर) में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु 100 नाली अर्थात 2 हे० भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 12/2/2015 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री राजेन्द्र सिंह नेगी वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री लक्ष्मी प्रसाद मैठाणी रा०उपनिरीक्षक प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री एन० के० एस० गौड़ द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि, ...x....हे0, सिविल एवं सोयम वन भूमि, 2.00 हे0, वन पंचायत भूमि x हे0 एवं नाप भूमि ..x....हे0 प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरेखण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से ....गाँव व ....जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वन भूमि में 11 वृक्षों व नाप भूमि पर ....x....वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना अपेक्षित हो)..
....
....
....

ह0/– (प्रयोक्ता एजेन्सी)

ह0/– (राजस्व विभाग का प्रतिनिधि) रा० उ० नि० चोपता/अगस्त्यमुनि

ह0/– उप प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग (वन विभाग का प्रतिनिधि)

ह0/– जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग (जिलाधिकारी)

ह0/– उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग (प्रभागीय वनाधिकारी)

ह0/– (सम्बन्धित उप जिलाधिकारी) रुद्रप्रयाग

तहसीलदार रुद्रप्रयाग

ह0/– (ग्राम प्रधान/वन पंचायत सरपंच)

वन पंचायत ग्राम कुण्डा दानकोट जिला–रुद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)

नोट :– उक्त सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं के हस्ताक्षर के उपरान्त प्रस्ताव के साथ लगाई जानी है।

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

COMPONENT WISE LAYOUT PLAN

Proposed Land Area (2.0 Hect.) For Govt. Polytechnic Chopta, Rudraprayag.

	AREA CHART				
	PATCH NO 01-				
1.	Total Building-I (Phase-I) Area	1120	SQ.M	0.1120	Hect.
2.	Other Area (Garden+ Playground+ Internal Road+ Surplus Area etc.)	9880	SQ.M	0.9880	Hect.
3.	**TOTAL AREA**	**11000**	**SQ.M**	**1.10**	**Hect.**
	PATCH NO 02-				
1.	Indoor Sports club/Gym Area	285	SQ.M	0-0285	Hect.
2.	Other Area (Garden+ Playground+ Internal Road+ Surplus Area etc.)	115	SQ.M	0.0115	Hect.
	TOTAL AREA	**400**	**SQ.M**	**0.04**	**Hect.**
	PATCH NO 03-				
1.	Total Building-II(Phase-I) Area	1660	SQ.M	0.1660	Hect.
2.	Auditorium/Amphitheatre Area	525	SQ.M	0.0525	Hect.
3.	Additional Workshop Area	575	SQ.M	0.0575	Hect.
4	Other Area (Garden+ Playground+ Internal Road+ Surplus Area etc.)	5670	SQ.M	0.5670	Hect.
5	Multi-Purpose Hall	170	SQ.M	0.0170	Hect.
	TOTAL AREA	**8600**	SQ.M	**0.860**	Hect.
	TOTAL Are (Patch 1+2+3)	**20000**	SQ.M	**2.00**	**Hect.**

Total Area **20000 Sqm. 2.00 Hect.**

RACHNA ARCHITECT * RUDRAPRAYAG *

UNIT INCHARGE
U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd.
Dehradun Unit - 1
Dehradun

Principal
Govt. Polytechnic Chopta
Rudraprayag

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

(84)

कार्यालय भूवैज्ञानिक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला टास्क फोर्स, चमोली एवं रूद्रप्रयाग, मुख्यालय गोपेश्वर

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज,
चोपता (रूद्रप्रयाग)।

पत्रांक 443 / जि0टा0फो0 / भवन / 2014-15 दिनांक 5 फरवरी 2015

विषय: जनपद व तहसील रूद्रप्रयाग के ग्राम कुण्डा दानकोट मे पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवनों के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या 46 / स्था0 / नवसृजित पालीटेक्निक / 2014-15, दिनांक 22.12.2014, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को सम्बोधित व भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स, चमोली / रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर (गढ़वाल) को पृष्ठांकित है तथा उक्त पत्र पर जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग के टिप्पणी आदेश संख्या मेमो / 27-पॉ0लि0 / 27-1 (13-14), दिनांक 02.01.2015, जिसके द्वारा उपरोक्त स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम मे अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त स्थल का भूगर्भीय सर्वेक्षण सम्पन्न कर भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या आपके सुलभ सदर्भार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(हस्ताक्षर) 5/2/15
सहायक भूवैज्ञानिक /
प्रभारी अधिकारी।

पृष्ठांक: / जि0टा0फो0 / भवन / 2014-15, तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग।
2. संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सहायक भूवैज्ञानिक /
प्रभारी अधिकारी।

(हस्ताक्षर) प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रूद्रप्रयाग

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता
(रूद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

(85)

नि0आ0सं0–463/जि0टा0फो0 च0/रू0/भवन/2014–15

जनपद व तहसील रूद्रप्रयाग के ग्राम कुण्डा दानकोट मे पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवनों के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज चोपता (रूद्रप्रयाग) के पत्र संख्या 46/स्था0/नवसृजित पालीटेक्निक/2014–15, दिनांक 22.12.2014, जो कि जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को सम्बोधित व भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स, चमोली/रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर (गढ़वाल) को पृष्ठांकित है तथा उक्त पत्र पर जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग के टिप्पणी आदेश संख्या मैमो/27–पॉ0लि0/27–1 (13–14), दिनांक 02.01.2015, जिसके द्वारा जनपद व तहसील रूद्रप्रयाग के ग्राम कुण्डा दानकोट मे पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवनों के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के अनुपालन मे उक्त प्रस्तावित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री ए0के0एस0 गौड़, प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज चोपता (रूद्रप्रयाग) व श्री लक्ष्मी प्रसाद मैठाणी, राजस्व उपनिरीक्षक चोपता की उपस्थिति मे सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय निरीक्षण आख्या निम्नवत है :–

पहुँच :

प्रश्नगत स्थल ग्राम कुण्डा दानकोट, रूद्रप्रयाग–चोपता मोटर मार्ग पर रूद्रप्रयाग से चोपता 20 कि0मी0 तथा चोपता से चोपता–स्वारी ग्वांस मोटर मार्ग पर, चोपता से लगभग 04 कि0मी0 की दूरी पर मोटर मार्ग के डाउनस्लोप/उत्तरपूरब से नीचे कच्चे मोटर मार्ग पर लगभग 500 मीटर से 100 मीटर पैदल मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ भूभाग है। प्रस्तावित खसरा संख्या 4059 वर्तमान समय मे लगभग अर्द्धसमतल भूभाग के रूप मे विद्यमान है।

प्रस्तावित स्थल उत्तराखण्ड सरकार की भूमि व खसरा संख्या 4059 भूमि प्रस्तावित है। उक्त के साथ पूर्व मे प्रेषित भूगर्भीय निरीक्षण आख्या मे उल्लिखित खसरा संख्या 3308 मे 1.332 है0 व खसरा संख्या 3319 मध्ये कुल 4.364 है0 भूमि की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या प्रेषित की गयी थी जिसमें खसरा संख्या 4158, खसरा संख्या 3319 से लगा हुआ भूभाग है। अतः खसरा संख्या 4158 के अनुसार खसरा संख्या 3319 पूर्व की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या मे दिये गये सुझाव एवं शर्तों के साथ भवन निर्माण हेतु विचार किया जाय।

अवस्थिति :

प्रस्तावित स्थल स्वांरी ग्वांस मोटर मार्ग के डाउनस्लोप/उत्तरपूरब दिशा मे बंजर भूभाग के रूप मे अवस्थित है। स्थल के डाउनस्लोप/उत्तरपूरब दिशा मे घना वन क्षेत्र अवस्थित है। स्थल के उत्तर मे स्थानीय प्रजाति का घना वन क्षेत्र, दक्षिण मे, चकबन्दी दीवार, पूरब मे पहाड़ी ढालयुक्त लगभग 25^0 पूरब फेसिंग क्षेत्र तथा पश्चिम मे ग्रामीणों के सीढ़ीनुमा कृषियुक्त खेत अवस्थित हैं।

भूगर्भीय स्थिति :

प्रश्नगत स्थल पर अपयक्षित अधोभूमि चट्टानें पुराने संगठित मलवे पर अवस्थित हैं। स्थल के अपस्लोप व डाउनस्लोप मे विभिन्न प्रजाति के वृक्षों व पोधों का सघन वन व डाउनस्लोप मे बांज प्रजाति के वृक्षों का सघन वन क्षेत्र विद्यमान है।

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रूद्रप्रयाग

स्थल मे सिल्वर ऑक के वृक्षों से स्थल की मृदा मे नमी दृष्टिगोचर होती है। मोटर मार्ग कटाव व रिज सतह मे स्वस्थानें चट्टानें दृष्टिगोचर होती हैं। स्थल मे मुख्यतः भूरी, गहरी भूरी व कतिपय स्थलों पर हल्की भूरी रंग की मृदा दृष्टिगोचर होती है। स्थल मे किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक व अधोभूमि जल स्रोत दृष्टिगोचर नही होता है।

भूगर्भीय संरचना :

प्रस्तावित स्थल मे स्वस्थानें चट्टानें पहाड़ी ढाल सतह पर दृष्टिगोचर होती हैं। स्थल की सतह पर हरी भूरी, दृढ़ व मध्यम कमजोर शिष्ट प्रकृति की चट्टानें अवस्थित हैं जो कि कतिपय स्थलों पर अत्यधिक वेदर्ड अवस्था दृष्टिगोचर हो रही हैं। स्थल पर नाइसिस प्रकृति की कमजोर चट्टानें अवस्थित हैं जो कि पतली परतों व टुकड़ों मे अपरदित हो रही हैं। स्वस्थानें चट्टानों के प्रसार की दिशा उत्तर 345^0 व नतिमान 35^0 उत्तर 70^0 दिशा मे आंका गया। स्थल की स्वस्थानें चट्टानों की नतिमान की दिशा स्थल के ढाल की सुरक्षा के प्रतिकूल दृष्टिगोचर होती है।

स्थल की चट्टानें भूगर्भीय साहित्य मे रामगढ़ समूह की चट्टानों मे वर्गीकृत की गयी हैं। उक्त स्थल भारतीय सीजमिक मानचित्र मे मध्य हिमालयी पर्वत श्रेणियों के सक्रिय भूकम्पीय जोन–V मे अवस्थित है अतः लघु व मध्यम तथा यदाकदा अधिक तीव्रता के भूकम्पन्नों से स्थल सदैव प्रभावित हो सकता है।

उक्त स्थल पर भवन निर्माण हेतु निम्न शर्तों एवं सुझावों का पालन किया जाना आवश्यक होगा :

1. स्थल, वन भूमि होने की दशा में, माननीय उच्चतम न्यायालय के वन संरक्षण अधिनियम–1980 तथा पर्यावरण व पारिस्थितिकी अधिनियम–1986 के अनुरूप वन व संबन्धित विभागों से समुचित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण हेतु मान्य होगा।
2. स्थल पर भवनों की सुरक्षा हेतु निर्माण कार्य एक मंजिला सीढ़ीनुमा सोपानों मे ही किया जाय।
3. उत्तराखण्ड शासन द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों हेतु प्रख्यापित बिल्डिंग बाई लॉज में निहित सम्पूर्ण प्राविधानों के अनुरूप भवन निर्माण कार्य किया जाय।
4. भवन आधार, रिटेनिंग वाल व ब्रेसवाल के आधार को उचित गहराई मे ताजा दृढ़ स्वस्थानें चट्टानों मे रखकर अथवा उचित सिविल भूअभियांत्रिकी तकनीक के साथ स्थल पर निर्माण कार्य किया जाय।
5. भवन परिसर के सतही जल प्रवाह व अधोभूमि रिसाव को न्यून/कम करने के लिए समुचित प्रबन्ध व खुले परिसर को पक्का किया जाय।
6. सीवेज व सोकपिट से होने वाले जल रिसाव को नियन्त्रित करने के लिए सीवेज पिट को पक्का निर्मित किया जाय।
7. चूंकि स्थल हिमालयी पर्वत श्रेणियों के सक्रिय भूकम्पीय जोन–V मे अवस्थित है अतः भवन निर्माण करते समय अद्यतन नवविकसित भूकम्परोधी तकनीक से भवन निर्माण कार्य किया जाय।

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

Bhatt
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

8. स्थल के वर्तमान एंगिल ऑफ रिपोज को संरक्षित करते हुए निर्माण कार्य हेतु विचार किया जाय व साथ ही दक्षिणपूरब मे पहाड़ी ढाल पर कटाव न किया जाय।

9. भवन आधार की खुदायी के समय विस्फोटकों का प्रयोग वर्जनीय होगा ।

10. स्थल की भार ग्राह्यता क्षमता के अनुरूप किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्थल की भार ग्राह्यता क्षमता मे सेफ्टी फेक्टर के समाकलन के उपरान्त भवन आधार खुदाई व भवन डिजाइनिंग की जाय।

11. स्थल पर अनियोजित मानवीय कार्यकलाप से स्थल का वर्तमान एंगिल ऑफ रिपोज परिवर्तित न किया जाय।

12. चूंकि उक्त क्षेत्रान्तर्गत शीतकाल के दौरान स्थल यदाकदा हिमान्छादित हो जाता है अतः भवन छत को ढालदार निर्मित किया जाय।

13. स्थल के सतही एवं अधोभूमि जल रिसाव को कम करने के लिये स्थल के सतही जल प्रवाह को पक्की लीनियर नालियों द्वारा एकत्रित कर दूर किसी सुरक्षित स्थल मे छोड़ा जाय।

प्रस्तावित स्थल पर एकत्रित किये गये सतही आंकड़ों, भूआकृति, भूप्रकृति एवं भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से उपरोक्त सुझाव व शर्तों के साथ प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर स्थल वर्तमान परिस्थितियों मे एक मंजिला भवन निर्माण हेतु उपयुक्त समझा जाता है।

(अमित गौरव)
सहायक भूवैज्ञानिक

प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

(210) 654 7/11/15

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्यमुनी वन क्षेत्र

पत्रांक 260 /12 दिनांक 23-10-2015

सेवा में,

प्रधानाचार्य

राजकीय पालीटैक्निक चोपता

रुद्रप्रयाग

विषय - बिना भूमि हस्तान्तरण के भवन निर्माण.

महोदय,

आप द्वारा बिना भूमि हस्तान्तरण के भवन निर्माण कार्य कराया जा रहा है. आप द्वारा वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है. जबकि निर्माण कार्य को इस रात्रि के वन दरोगा श्री राजेन्द्र सिंह नेगी द्वारा भी रोका गया था, परन्तु फिर भी आपने निर्माण कार्य बिना भूमि हस्तान्तरण के किया जा रहा है।

अतः आप स्पष्ट करें कि आप द्वारा वन पंचायत भूमि पर बिना पूर्व स्वीकृति के क्यों भवन निर्माण कार्य किया गया है

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

प्रतिलिपि - श्रीमान उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

प्रेषक,

प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग)

सेवा में ,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड
श्रीनगर (गढवाल)

पत्रांक 340/ भूमि हस्तान्तरण विषयक / 2015–16/ दिनांक 7/10/2015

विषय – नव सृजित राजकीय पालिटेक्निक चोपता हेतु भूमि हस्तान्तरण कराये जाने विषयक ।

महोदय,

नव सृजित राजकीय पालिटेक्निक चोपता हेतु प्रस्तावित भूमि का भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नोडल कार्यालय वन संरक्षण एंव भूमि सर्वेक्षण निदेशालय जलागम फारेस्ट कालोनी देहरादून के यहॉ से दिनांक 29/09/2015 को उप वनसंरक्षक वनप्रभाग रुद्रप्रयाग को अगली कार्यवाही हेतु आन लाइन भेजा जा चुका है । महोदय 3/10/2015 को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा उप वनसंरक्षक वनप्रभाग रुद्रप्रयाग से भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुलाकात की गयी मुलाकात के वक्त उपवन संरक्षक वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के द्वारा भूमि, विभाग को हस्तान्तरित होने से पूर्व निर्माण कार्य कराये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा उनके द्वारा कहा गया कि "प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लघन हुआ है और नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी"।

महोदय प्रस्तावित भूमि पर भूमि हस्तान्तरण से पूर्व निर्माण कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में /अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में संस्था के पत्रांक 92 दिनांक 2/03/2015, 101 दिनांक 20/3/2015, 139–A दिनांक 12/05/2015, 143 दिनांक 15/05/2015, 224 दिनांक 8/07/2015 द्वारा आपको व प्रोजेक्टर मेनेजर उ0प्र0 निर्माण निगम लि0 यूनिट –1 देहरादून को पूर्व में अवगत कराया जा चुका है था परन्तु निर्माण एजेन्सी द्वारा न ही निर्माण कार्य रोका गया ओर न ही निर्माण कार्य रोकने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी

महोदय यदि इन स्थितियो में यदि भूमि हस्तान्तरण प्रकिया मे कोई विलम्ब होता है /भूमि हस्तान्तरण प्रकिया में कोई रुकावट आती है तो अद्योहस्ताक्षरी की कोई जिम्मेदारी नही होगी, हालांकि अद्योहस्ताक्षरी सम्बन्धित अधिकारी व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के सम्पर्क में है तथा

उपरोक्त के सम्बन्ध में समाधान निकालने का प्रयास किये जा रहा है ताकि भूमि हस्तान्तरण की अगली प्रकिया शीघ्र पूर्ण कराई जा सके ।

प्रधानाचार्य
ए0के0एस0गौड
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

पत्रांक 341-342 / भूमि हस्तान्तरण विषयक / 2015–16 / दिनांक

प्रतिलिपि –1 प्रोजेक्ट मेनेजर उ0प्र0 निर्माण निगम लि0 यूनिट –1 देहरादून ।
2 नोडल कार्यालय भूमि–भवन राजकीय पालिटेक्निक आमवाला देहरादून ।

प्रधानाचार्य
ए0के0एस0गौड
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

O/C

प्रेषकः– प्रधानाचार्य

राजकीय पालीटेक्निक चोपता

(रूद्रप्रयाग)

सेवा में,

प्रोजेक्ट मेनेजर

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0

यूनिट–1 देहरादून

पत्रॉकः– 101 / प्रशा0– निर्माण विषयक /2014–15/दिनॉक 20/3/2015

महोदय,

अघोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि नवसृजित राजकीय पालीटेक्निक चोपता प्रस्तावित भूखाण्डों पर आप द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जबकि प्रस्तावित भूमि अभी संस्था को हस्तान्तरित नही हो पायी है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि जब तक संस्था को भूमि हस्तान्तरित न हो जाय तब तक निर्माण कार्य स्थगित रखें ।

प्रतिलिपिः– निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर (गढ़वाल)

(ए0के0एस0गौड़)

प्रधानाचार्य

राजकीय पालीटेक्निक चोपता

प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

O/C

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

(217)

प्रेषक,

प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग)

सेवा में ,

प्रोजेक्ट मेनेजर
उ0प्र0 निर्माण निगम लि0
यूनिट –1 देहरादून

पत्रांक 362/- भूमि हस्तान्तरण विषयक/ 2015–16/ दिनांक 2/11/15

विषय– विना भूमि हस्तान्तरण के भवन निर्माण कार्य रोके जाने विषयक ।

महोदय,

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्यमुनि वन क्षेत्र के **पत्रांक 260/12 दिनांक 23/10/2015**(पत्र की फोटो प्रति संलग्नक) के अनुपालन में अवगत कराना है कि आप द्वारा प्रस्तावित भूमि पर भूमि हस्तान्तरण से पूर्व भवन निर्माण कार्य कराया जा रहा है । जो कि वन संरक्षक अधिनियम 1980 का उल्लघन है पूर्व मे भी आपको कार्यालय राजकीय पालिटेक्निक चोपता के **पत्रांक संख्या 341/भूमि हस्तान्तरण विषयक/2015–16/दिनांक 7/10/2015** द्वारा अवगत कराया जा चुका है ।

अतः प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य तुरन्त रोक दिया जाये तथा प्रस्तावित भूमि विभाग को हस्तान्तरित होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये ।

संलग्नक –उपरोक्तानुसार ।

प्रधानाचार्य
(अनुराग नैथानी)
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
रुद्रप्रयाग

पृ0स0 363/ भूमि हस्तान्तरण विषयक/ 2015–16/ दिनांक 2/11/15

प्रतिलिपि – निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड श्रीनगर गढवाल को सूचनार्थ ।

प्रधानाचार्य
(अनुराग नैथानी)
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
रुद्रप्रयाग

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

O/C

75 आज़ादी का अमृत महोत्सव

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

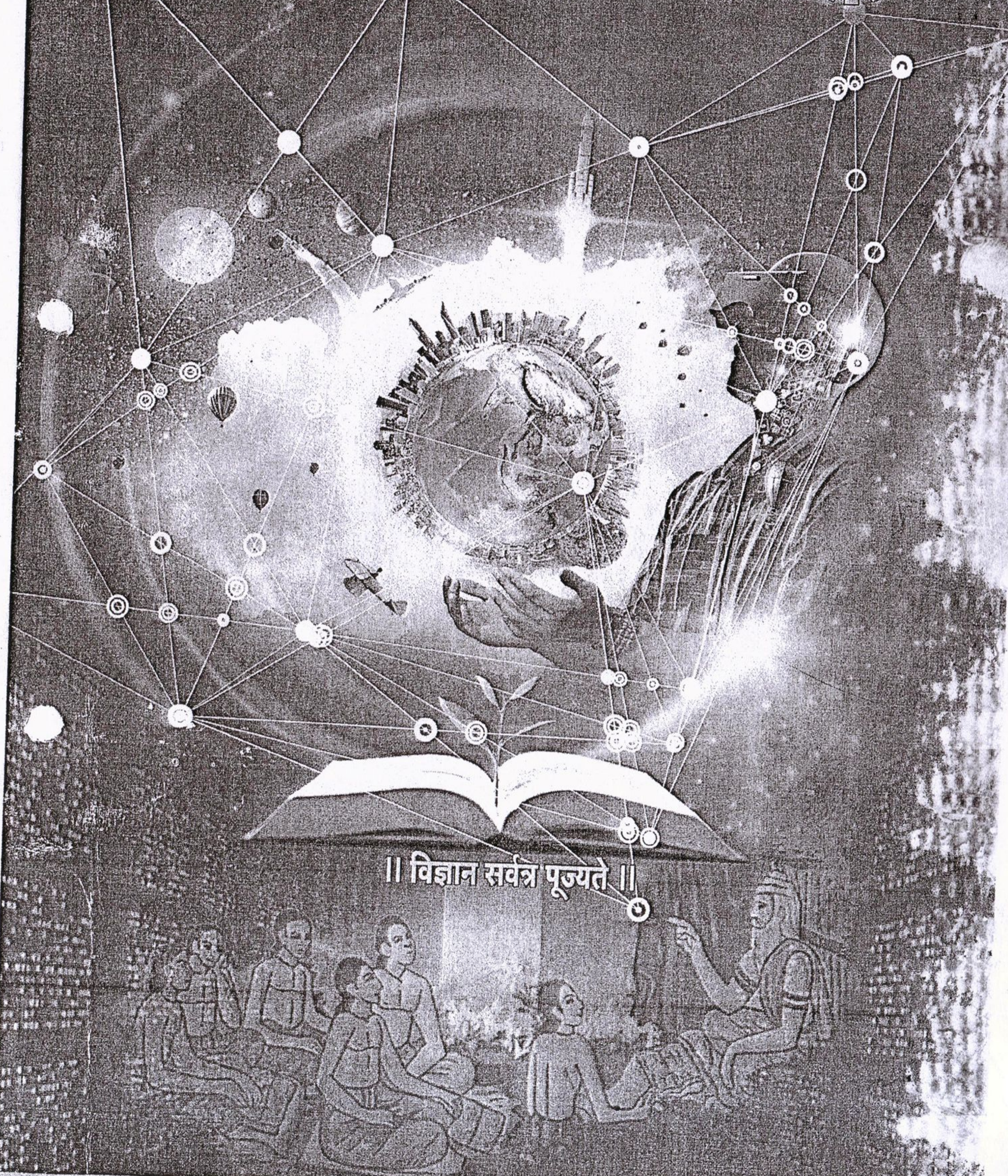

APPROVAL PROCESS HANDBOOK 2022

INDEX

Chapter	Contents	Page No.
	Foreword	ii
	Abbreviations	vii
	Definitions	xi
	Preamble	xv
I	Grant of Approval through online application for Setting up a New Technical Institution offering a Technical Programme at Diploma/ Post Diploma Certificate/ Under Graduate Degree/ Post Graduate Diploma/Post Graduate Degree Level	1
II	Grant of Approval through the online application for the following: • Extension of Approval based on Self-Disclosure • Introduction/ Continuation of seats for Non Resident Indian(s) • Change of Site/Location • Conversion of Diploma Level into Degree Level and vice-versa • To start new Programme/ Level in the existing Institutions • Merger of Institutions under the same Trust/ Society/ Company operating in the same Campus or Same City • Extension of Approval of the existing Institutions after a break in the preceding Academic Year/ Restoration of Intake • Introduction/ Continuation of supernumerary seats for Foreign Nationals/ Overseas Citizen of India (OCI)/ Children of Indian Workers in Gulf Countries • Conversion of Women's Institution into Co-ed Institution and vice- versa • Increase in Intake/ Additional Course(s) • Introduction of Integrated/Dual Course • Closure of the Institution • Introduction/ Continuation of Fellow Programme in Management • Change in the Name of the Course(s)/ Merger of the Courses/ Reduction in Intake/ Closure of Programme(s)/Course(s) • Change in the Name of the Institution or affiliating University/ Board or Type of Institution (Institution(s) converted into a University) • Change in the Minority Status of the Institution • Change in the Name of the Bank • Change in the Name of the Trust/ Society/Company • Extended EoA	13
III	Grant of Approval for Collaboration and Twinning Programme between Indian and Foreign University/ Institution in the field of Technical Education, Research and Training	42
IV	Grant of Approval through online application for the University/ Institutions Deemed to be University.	45
V	Grant of Approval for Standalone Institutions/ Institutions Deemed to be Universities through the online application for Open and Distance Learning Education and online Education	53
VI	Grant of Approval through online application for Vocational Education Courses under NSQF	64
VII	Norms and Requirements	69
VIII	Penal Action in case of Violations of the Regulations/ Approval Process Handbook	82

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

Instead of major changes, attempts have been made in this Approval Process Handbook 2022-23 to consolidate and refine the guidelines which are already there so that process of evaluation of applications of the institutions become hassle free. AICTE assures to all the stakeholders that it will continue to be a facilitator taking care of changing needs of all concerned and hope that with concerted effort of all concerned,quality of technical education in India will reach a new pinnacle during coming days.

This handbook is an attempt to provide comprehensive information on the fair and rational system of administration as well as other necessary information on the processes involved under the aegis of AICTE. The emphasis on e-governance to ensure transparency and accountability, and implementing a tech-savvy approach to enable faster processing and clearly defining the Infrastructural norms in Institutions are just a few pointers towards AICTE's efforts at fostering a technical education system which is on par with the best institutions in the world.

The slogan of this year is *"Vigyan Sarvatra Pujyate"* means science is revered all over and will display our scientific legacy and technology prowess that have helped find solutions to problems in defence, space, healthcare, agriculture, astronomy, and others. Society should respect and revere science and the scientific community, and this would be possible only through constant interactions between the scientific community with the public. If this happens, it will indeed create a new stronger India that can address the challenges humanity may encounter in the near future, especially in sharing the resources essential for maintaining healthy life on this planet.

Swami Vivekananda said, "Education is the manifestation of the perfection already in man". In keeping with this objective, apart from regulatory role, AICTE shall continue to strive to be a true mentor, facilitator and enabler in bringing out the best in each Institution. We hope all the education partners/stakeholders of technical education shall also put in their best and make team India proud and make *"Atmanirbhar Bharat"* a reality.

योगः कर्मसु कौशलम्

(Excellence in action is Yoga)

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता [illegible]

Prof. Anil D. Sahasrabudhe
Chairman, AICTE

APPENDIX-4

Norms for Land and Built-up Area Requirements of the Technical Institutions

4.1 Land Requirements for the Technical Institutions

Programme	Land Area requirement in Acre								
	Diploma/ Post Diploma Programmes			Under Graduate Programmes			Institutions offering ONLY Post Graduate Programmes (MCA/ Post Graduate Diploma/ MBA)		
	Mega and Metro*	Urban	Rural	Mega and Metro*	Urban	Rural	Mega and Metro*	Urban	Rural
Engineering and Technology	$	1.5	4.0	$	2.5#	7.5#	-	-	-
Planning	-	-	-	$	1.0	2.0	-	-	-
Applied Arts and Crafts	$	0.5	1.5	$	0.5	1.5	-	-	-
Design	$	1.0	2.0	$	1.0	2.0	-	-	-
Hotel Management and Catering Technology	$	1.0	2.0	$	1.0	2.0	-	-	-
MCA	-	-	-	-	-	-	$	0.5	1.0
Management	-	-	-	-	-	-	$	0.5	1.0

* Mega and Metro Cities: Greater Mumbai (UA), Delhi (UA) and Kolkata (UA), Chennai (UA) Bangalore (UA), Hyderabad (UA), Ahmedabad (UA), Pune (UA), Surat (UA) as per the Census of India 2011

$ For the Land area requirements the following conditions need to be adhered:

a. The Built-up area requirements as specified in the Approval Process Handbook (which is in-force) are adhered to.

b. The Built-up area, achieved has to be approved by the concerned Development Authority as per the latest Building Bye-Laws (Development Controls) in that City. A copy of certified Building Bye-Laws be made available by the Applicant Institution. Copy of the approved Plan from local statutory body and the completion Plan along with the Completion Certificate from the same body, be also provided. The provisional Occupancy Certificate shall be considered only for 2 consecutive Academic Years; after two years the only afore-mentioned Completion Certificate and Completion Plan shall be considered for continuance of approval.

c. Fire and life Safety Certificate from Fire Department of the concerned State is to be taken before submitting the application at AICTE.

d. Additional Course(s)/Programme(s), in future can be allowed subject to the availability of Built-up areas as per FSI (FAR). However, if the additional construction is to be undertaken in the existing Building, then Structural Stability Certificate and Certificate of Safe Foundation to be provided by a Structural Engineer having a Master's Degree with specialization in Structural Engineering.

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
घोपता रुद्रप्रयाग

e. Competent Authority has to certify that the place is located in Mega and Metro/ Urban/ Rural areas.

f. The Land area required in the Mega and Metro Cities shall be calculated on the basis of the requirements as per AICTE norms for carpet area and the Municipal Corporation Bye-Laws.

ATTACHMENT-02

COMPONENT WISE LAYOUT PLAN

Proposed Land Area (2.0 Hect.) For Govt. Polytechnic Chopta, Rudraprayag.

	AREA CHART				
	PATCH NO 01-				
1.	Total Building-I (Phase-I) Area	1120	SQ.M	0.1120	Hect.
2.	Other Area (Garden+ Playground+ Internal Road+ Surplus Area etc.)	9880	SQ.M	0.9880	Hect.
3.	**TOTAL AREA**	**11000**	**SQ.M**	**1.10**	**Hect.**
	PATCH NO 02-				
1.	Indoor Sports club/Gym Area	285	SQ.M	0-0285	Hect.
2.	Other Area (Garden+ Playground+ Internal Road+ Surplus Area etc.)	115	SQ.M	0.0115	Hect.
	TOTAL AREA	**400**	**SQ.M**	**0.04**	**Hect.**
	PATCH NO 03-				
1.	Total Building-II(Phase-I) Area	1660	SQ.M	0.1660	Hect.
2.	Auditorium/Amphitheatre Area	525	SQ.M	0.0525	Hect.
3.	Additional Workshop Area	575	SQ.M	0.0575	Hect.
4	Other Area (Garden+ Playground+ Internal Road+ Surplus Area etc.)	5670	SQ.M	0.5670	Hect.
5	Multi-Purpose Hall	170	SQ.M	0.0170	Hect.
	TOTAL AREA	**8600**	SQ.M	**0.860**	Hect.
	TOTAL Are (Patch 1+2+3)	**20000**	SQ.M	**2.00**	**Hect.**

Total Area **20000 Sqm. 2.00 Hect.**

RACHNA ARCHITECT RUDRAPRAYAG

UNIT INCHARGE
U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd.
Dehradun Unit - 1
Dehradun

Principal
Govt. Polytechnic Chopta
Rudraprayag

ATTACHMENT-03

RACHNA ARCHITECTS AND INTERIOR DESIGNERS

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that the following are the details for the 'Proposed Polytechnic' **at Chopta, Rudraprayag** (Uttarakhand).

- Total Plot Area =20860 Sqm.
- Ground floor coverage (20.78%) =4335 Sqm.
- Permissible Ground Coverage = (@55%)
- Total Built up Area = 5975 Sqm.
- FAR Achieved = 28.64% OR 0.2864
- Permissible FAR = (@1.9)
- FSI Achieved =0.2864

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

UNIT INCHARGE
U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd.
Dehradun Unit - 1
Dehradun

RACHNA ARCHITECT
RUDRAPRAYAG

For office

(Authorised signatory)

Near S.V.M Belni, Koteshwar road, Rudraprayag, Uttarakhand, PIN- 246171

E-mail: madhukarshivam9@gmail. com

RACHNA ARCHITECTS AND INTERIOR DESIGNERS

	AREA CHART
1	GROUND FLOOR COVERAGE
a.	BUILDING-1 (PHASE -I) = 1120 SQM
b.	BUILDING -II (PHASE -I) = 1660 SQM
C.	AUDITORIUM/ AMPHITHEATER =525 SQM
d.	MULTI-PURPOSE HALL =170 SQM
e.	INDOOR SPORTS CLUB /GYM =285 SQM
f.	ADDITIONAL WORKSHOPS =575 SQM
	TOTAL GROUND FLOOR COVERAGE =4335 SQM
2.	TOTAL COVERED AREA
a.	BUILDING-1 (PHASE -I) = 1120 SQM
b.	BUILDING -II (PHASE -I) = 3300 SQM
C.	AUDITORIUM/ AMPHITHEATER =525 SQM
d.	MULTI-PURPOSE HALL =170 SQM
e.	INDOOR SPORTS CLUB /GYM =285 SQM
f.	ADDITIONAL WORKSHOPS BUILDING -I =575 SQM
	TOTAL GROUND FLOOR COVERAGE = 5975 SQM

TOTAL SITE AREA =20860 SQM

GROUND FLOOR COVERAGE =4335 SQM

$= \frac{4335 \times 100}{20860} = 20.78\%$

PERMISSIBLE GROUND COVERAGE = (@55%)

TOTAL BUILTUP AREA = 5975 SQM

FAR $= \frac{5975 \times 100}{20860} = 28.64\%$ OR 0.2864

PERMISSIBLE FAR = (@1.9)

ACHIEVED FAR = 28.64% OR 0.2864

(F.S.I) = 0.2864

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
बोपता रुद्रप्रयाग

UNIT INCHARGE
U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd.
Dehradun Unit - 1
Dehradun

RACHNA ARCHITECT
RUDRAPRAYAG

Near S.V.M Belni, Koteshwar road, Rudraprayag, Uttarakhand, PIN- 246171 mob.9548055255
E-mail: madhukarshivam9@gmail. com

. RACHNA ARCHITECTS AND INTERIOR DESIGNERS .

PHASE WISE CONSTRUCTION WORK FOR 'GOVERNMENT POLYTECHNIC AT

CHOPTA, RUDRAPRAYAG

PHASE-I- BUILDING-I (AS MARKED SITE PLAN) CARPET AREA - 864 SQ.M. & BUILT-UP AREA = 1120 SQ.M. UNDER CONSTRUCTION.

PHASE-II- BUILDING-II, AUDITORIUM/AMPHITHEATER, MULTI-PURPOSE HALL, INDOOR SPORT CLUB/GYM & ADDITIONAL WORKSHOP (AS MARKED SITE PLAN) CARPET AREA-4034 SQ.M. & Built-up AREA -4855 SQ.M. TO BE CONSTRUCTED.

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

UNIT INCHARGE
U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd.
Dehradun Unit - 1
Dehradun

RACHNA ARCHITECT
RUDRAPRAYAG

Near S.V.M Belni, Koteshwar road, Rudraprayag, Uttarakhand, PIN- 246171 mob.9548055255 .
. E-mail: madhukarshivam9@gmail. com

PROPOSED POLYTECHNIC AT CHOPTA , RUDRAPRAYAG
UTTARALHAND

RACHNA ARCHITECTS & INTERIOR DESIGNERS
RUDRAPRAYAG ,UTTARALHAND

RACHNA ARCHITECTS
& DESIGNERS RUDRAPRAYAG.
CONTACT- madhukarshivam9@gmail.com/ mob.9897518554 , 9548055255.
A CERTIFIED ARCHITECT UNDER THE COUNCIL OF ARCHITECTURE ACT. 1972.

PHASE WISE CONSTRUCTION DETAILS FOR GOVT. POLYTECHNIC AT CHOPTA, RUDRAPRAYAG

PHASE- I -BUILDING-I (AS MARKED SITE PLAN) CARPET AREA = 864 SQ. M. & BUILDUP AREA = 1120 SQ.M. UNDER CONSTRUCTION.

PHASE- II -BUILDING-II, AUDITORIUM/AMPHITHEATER, MULTI-PURPOSE HALL , INDOOR SPORT CLUB/GYM & ADDITIONAL WORKSHOP (AS MARKED SITE PLAN) CARPET AREA = 4034 SQ.M. & BUILDUP AREA= 4855 SQ.M. TO BE CONSTRUCTED.

LAND AREA	2.0860 HECTARE
LAND AREA	5.1544 ACRES

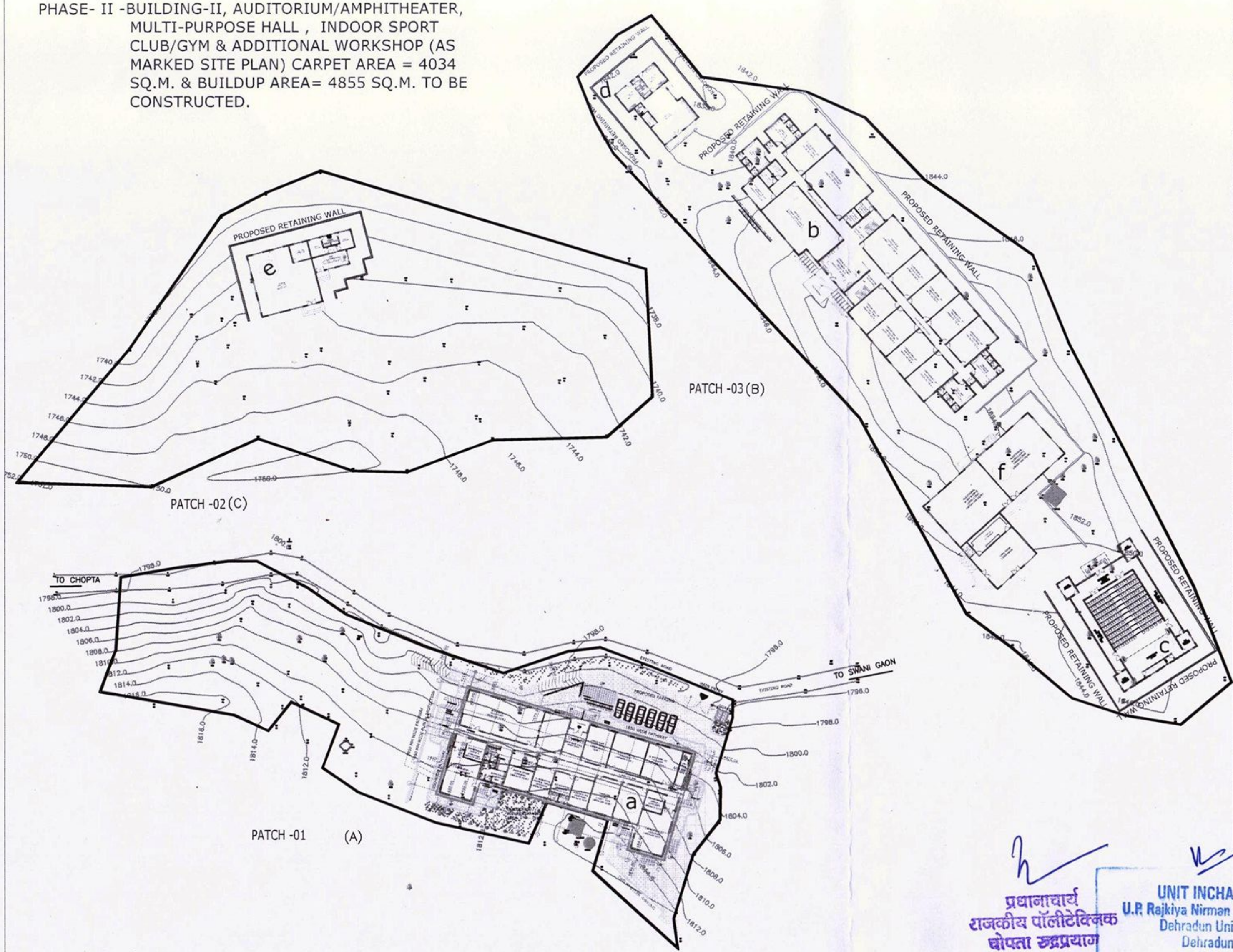

L E G E N D

SN.	COMPONENTS ON THE DRAWING
a)	BUILDING-I (PHASE-I)
b)	BUILDING-II (PHASE-II)
c)	AUDITORIUM/AMPHITHEATER (PHASE-II)
d)	MULTI-PURPOSE HALL (PHASE-II)
e)	INDOOR SPORT CLUB/GYM (PHASE-II)
f)	ADDITIONAL WORKSHOP & CAFETERIA (PHASE-II)

AREA CHART

1.	GROUND FLOOR COVERAGE	
a)	BUILDING-I PHASE-I	= 1120 SQ.M.
b)	BUILDING-II PHASE-II	= 1660 SQ.M.
c)	AUDITORIUM/AMPHITHEATER	= 525 SQ.M.
d)	MULTI-PURPOSE HALL PHASE-II	= 170 SQ.M.
e)	INDOOR SPORT CLUB/GYM	= 285 SQ.M.
f)	ADDITIONAL WORKSHOPS & CAFETERIA	= 575 SQ.M.
	TOTAL GROUND FLOOR COVERAGE	=4335 SQ.M.

AREA CHART

2.	TOTAL COVERED AREA	
a)	BUILDING-I PHASE-I	= 1120 SQ.M.
b)	BUILDING-II PHASE-II	= 3300 SQ.M.
c)	AUDITORIUM/AMPHITHEATER	= 525 SQ.M.
d)	MULTI-PURPOSE HALL PHASE-II	= 170 SQ.M.
e)	INDOOR SPORT CLUB/GYM	= 285 SQ.M.
f)	ADDITIONAL WORKSHOPS & CAFETERIA	= 575 SQ.M.
	TOTAL GROUND FLOOR COVERAGE	= 5975 SQ.M.

PLOT AREA = 20860 SQ.M.

TOTAL SITE AREA = 20860 SQ.M.

GROUND FLOOR COVERAGE = 4335 SQ.M.

$= \frac{4335 \times 100}{20860}$

= **20.78%**

PERMISSIBLE GROUND COVERAGE = (@**55**%)

TOTAL BUILT UP AREA = 5975 SQ.M.

FAR $= \frac{5975 \times 100}{20860}$

= 28.64% OR 0.2864

PERMISSIBLE FAR = **(@ 1.9)**

ACHIEVED FAR = 28.64% OR 0.2864

F. S. I. = **0.2864**

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

UNIT INCHARGE
U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd.
Dehradun Unit - 1
Dehradun

RACHNA ARCHITECT RUDRAPRAYAG

PROJECT TITLE	DRAWING TITLE	REMARKS	REVISIONS				
PROPOSED POLYTECHNIC AT CHOPTA, RUDRAPRAYAG (UTTARAKHAND)	POLYTECHNIC - SITE PLAN	1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM. 2. ALL DRAWINGS ARE TO BE READ ONLY AND NOT TO BE MEASURED. 3. THIS DRAWING SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH RELEVANT DETAILS, SECTIONS, ELEVATION AND ALL SERVICES DRAWINGS. 4. ANY DISCREPANCIES IN THE DRAWINGS OR AT SITE SHOULD BE BROUGHT TO THE ARCHITECT'S NOTICE IMMEDIATELY.	REV. NO. / DESCRIPTION	DATE: 28.01.2023 SCALE: NTS. DEALT: MADHUKAR DESIGN: SHIVAM	RACHNA ARCHITECTS	STAGE: WD DRG. NO. AR - 01	

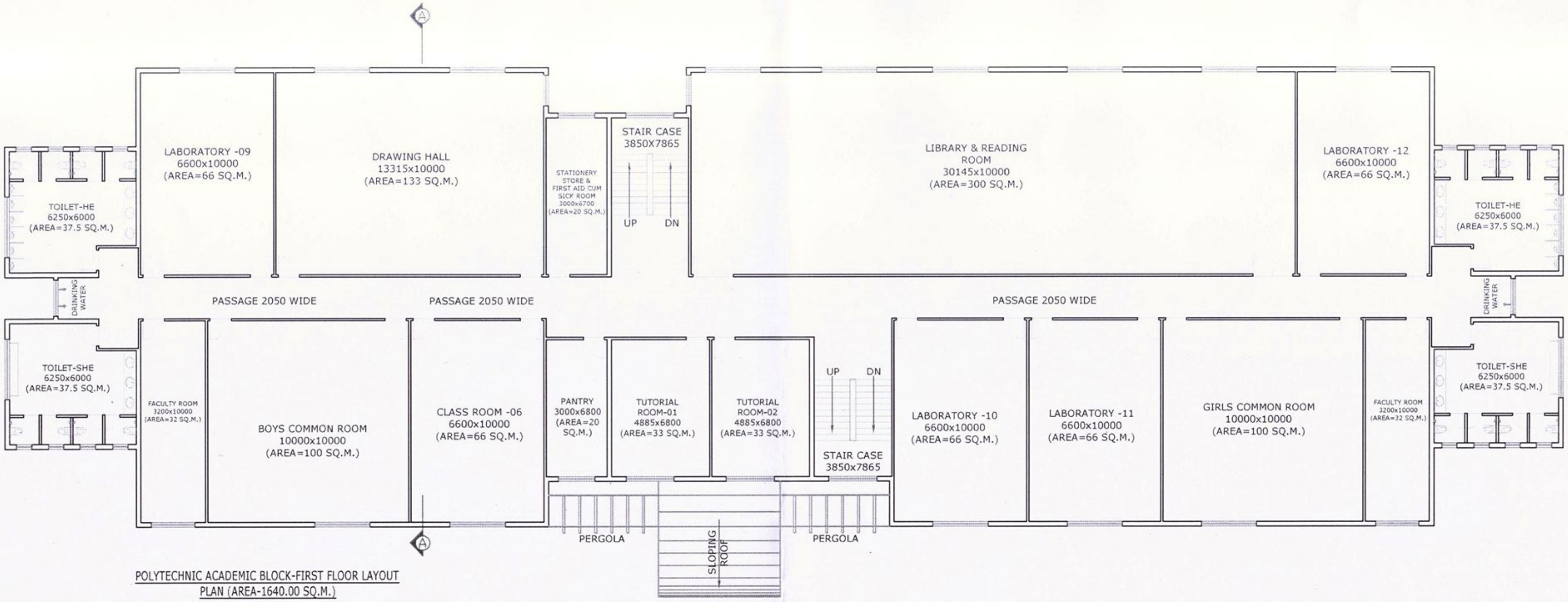

POLYTECHNIC ACADEMIC BLOCK-FIRST FLOOR LAYOUT PLAN (AREA-1640.00 SQ.M.)

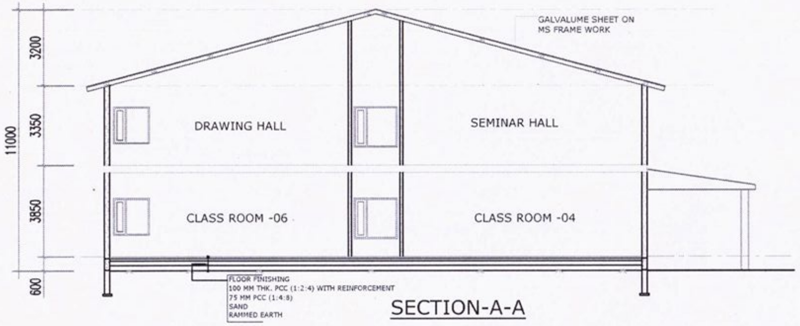

SECTION-A-A

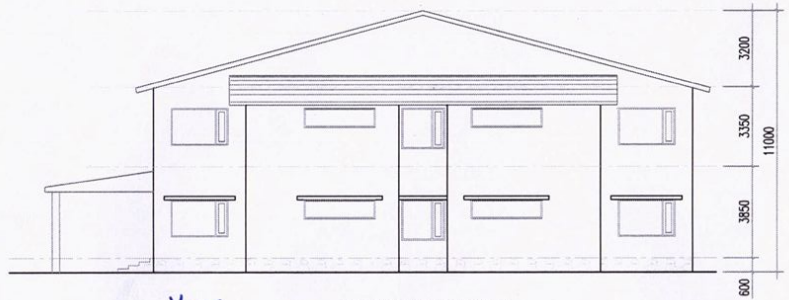

SIDE ELEVATION

PROJECT TITLE	DRAWING TITLE	REMARKS	REVISIONS			
PROPOSED POLYTECHNIC AT CHOPTA, RUDRAPRAYAG (UTTARAKHAND)	POLYTECHNIC BUILDING - II FIRST FLOOR PLAN & SECTION-A-A (PHASE - II)	1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM. 2. ALL DRAWINGS ARE TO BE READ ONLY AND NOT TO BE MEASURED. 3. THIS DRAWING SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH RELEVANT DETAILS, SECTIONS, ELEVATION AND ALL SERVICES DRAWINGS. 4. ANY DISCREPANCIES IN THE DRAWINGS OR AT SITE SHOULD BE BROUGHT TO THE ARCHITECT'S NOTICE IMMEDIATELY.	REV. NO.	DATE		

DATE	28.01.2023	STAGE CONCEPT
SCALE	NTS,	
DEALT		RACHNA ARCHITECTS
DESIGN		DRG. NO. CD–05

UNIT INCHARGE
U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd.
Dehradun Unit - 1
Dehradun

RACHNA ARCHITECT ★ RUDRAPRAYAG ★

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

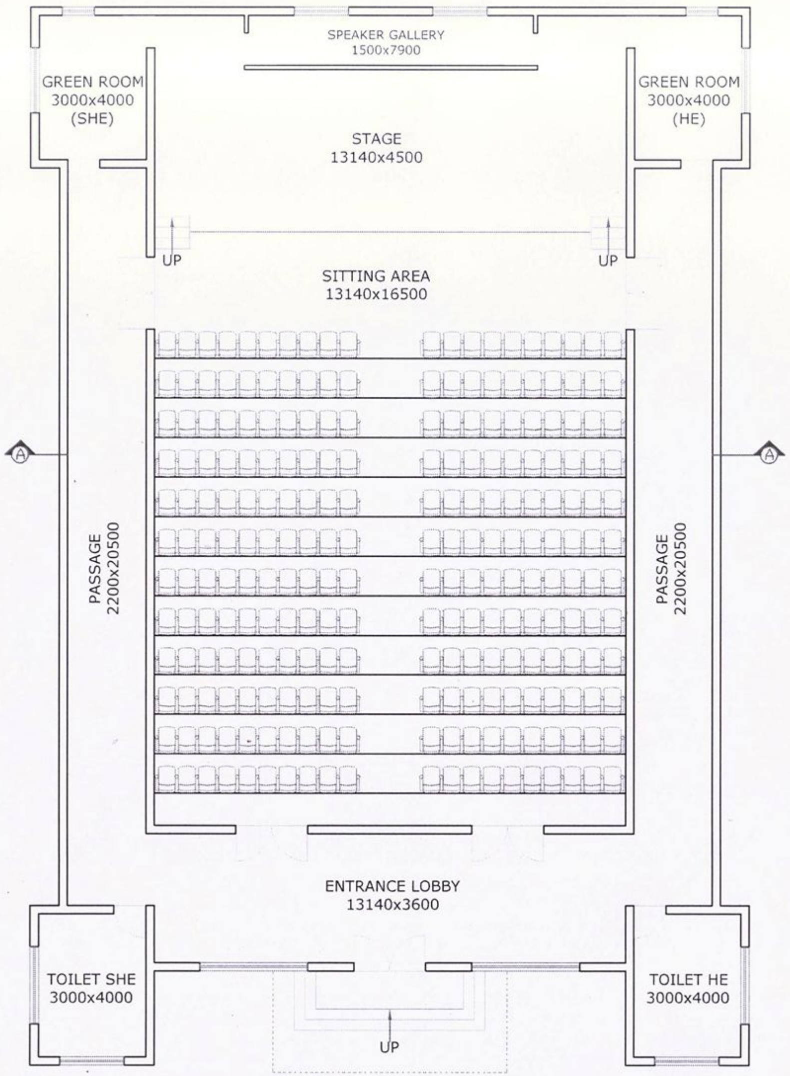

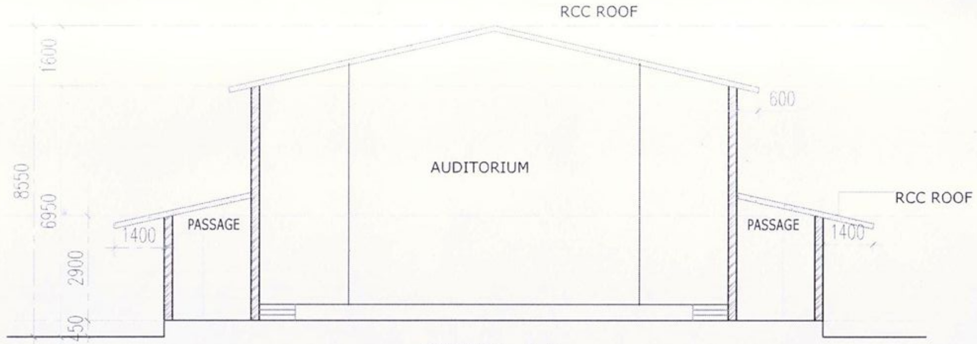

SECTION -A-A

FRONT ELEVATION

UNIT INCHARGE
U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd.
Dehradun Unit - 1
Dehradun

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रूद्रप्रयाग

AUDITORIUM: SEATING CAPACITY- 240 MAX.

TOTAL BUILT UP AREA =525 SQ.M.

PROJECT TITLE	DRAWING TITLE	REMARKS	REVISIONS		DATE	28.01.2023		STAGE
PROPOSED POLYTECHNIC AT CHOPTA, RUDRAPRAYAG (UTTARAKHAND)	AUDITORIUM/AMPHITHEATER LAYOUT PLAN, ELEVATION & SECTION-A-A (PHASE - II)	1. ALL DIMENSIONS IN MM UNLESS NOTED OTHERWISE.	REV. NO.	DATE	SCALE	1:150	RACHNA ARCHITECTS & DESIGNERS RUDRAPRAYAG.	CONCEPT
		2. ALL DIMENSIONS TO BE READ AND NOT MEASURED.			DEALT			DRG.NO.
		3. THIS DRAWING SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH RELEVANT DETAILS, SECTIONS, ELEVATION AND ALL SERVICES DRAWINGS.			DESIGN			CD-09
		4. ANY DISCREPANCIES IN THE DRAWINGS OR AT SITE SHOULD BE BROUGHT TO THE ARCHITECT'S NOTICE IMMEDIATELY.						

RACHNA ARCHITECT RUDRAPRAYAG
AR. MADHUKAR BIRVAK
CA/2019/1...

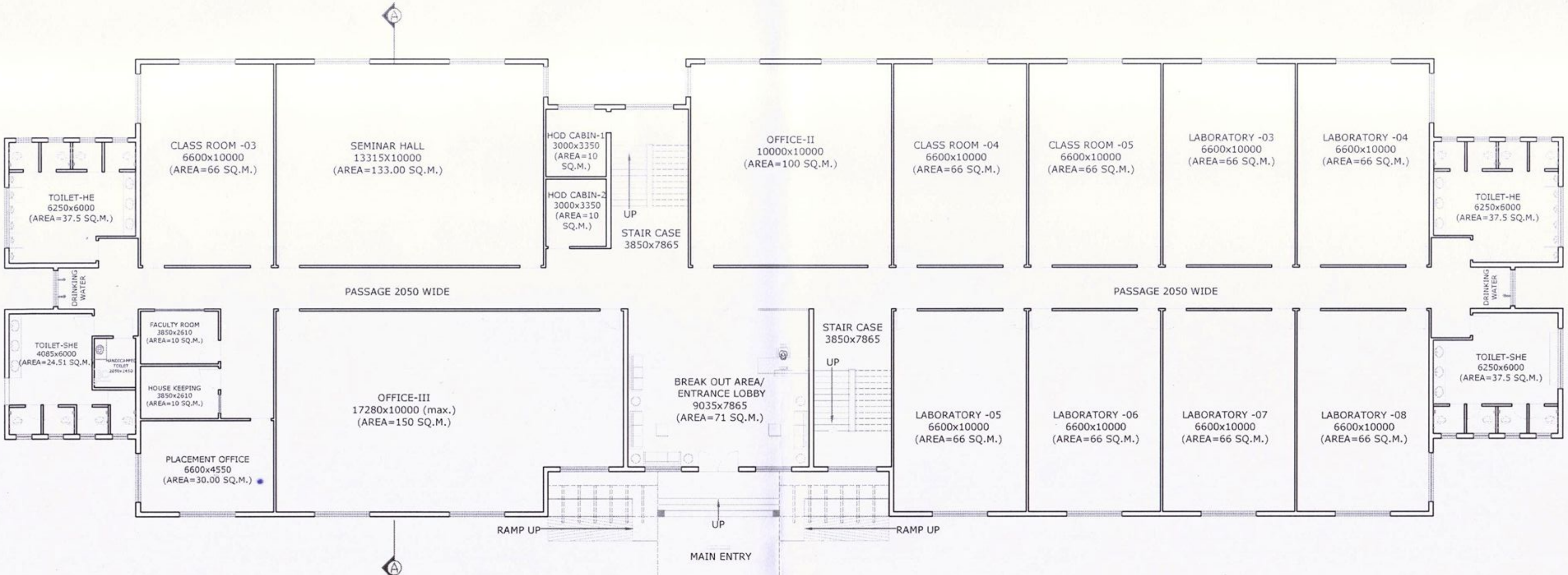

POLYTECHNIC ACADEMIC BLOCK-GROUND FLOOR LAYOUT PLAN (AREA-1660.00 SQ.M.)

FRONT ELEVATION -A-A

UNIT INCHARGE
U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd.
Dehradun Unit - 1
Dehradun

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रूद्रप्रयाग

GROUND FLOOR BUILT UP AREA = 1660.00 SQ.M.
FIRST FLOOR BUILT UP AREA = 1640.00 SQ.M.
TOTAL BUILT UP AREA =3300.00 SQ.M.

PROJECT TITLE	DRAWING TITLE	REMARKS	REVISIONS				
PROPOSED POLYTECHNIC AT CHOPTA, RUDRAPRAYAG (UTTARAKHAND)	POLYTECHNIC BUILDING - II GROUND FLOOR PLAN & ELEVATION (PHASE - II)	1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM. 2. ALL DRAWINGS ARE TO BE READ ONLY AND NOT TO BE MEASURED. 3. THIS DRAWING SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH RELEVANT DETAILS, SECTIONS, ELEVATION AND ALL SERVICES DRAWINGS. 4. ANY DISCREPANCIES IN THE DRAWINGS OR AT SITE SHOULD BE BROUGHT TO THE ARCHITECT'S NOTICE IMMEDIATELY.	REV. NO.	DATE	DATE 28.01.2023 SCALE NTS, DEALT DESIGN	RACHNA ARCHITECTS	STAGE CONCEPT DRG. NO. CD-04

RACHNA ARCHITECTS RUDRAPRAYAG

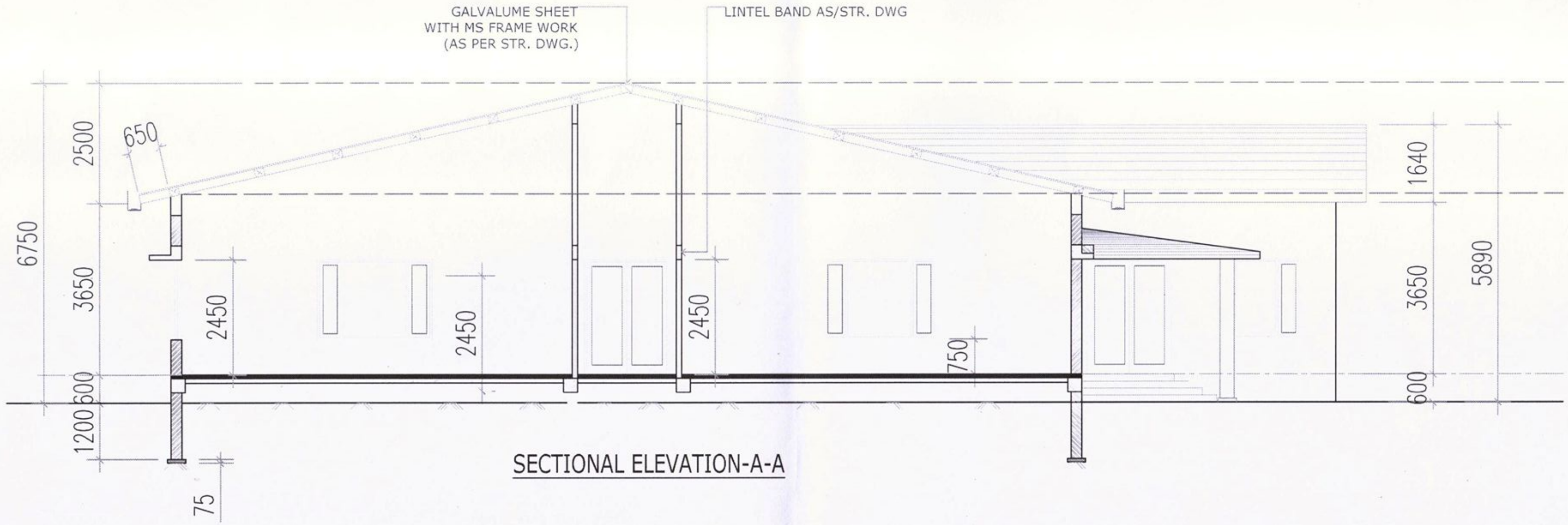

SECTIONAL ELEVATION-A-A

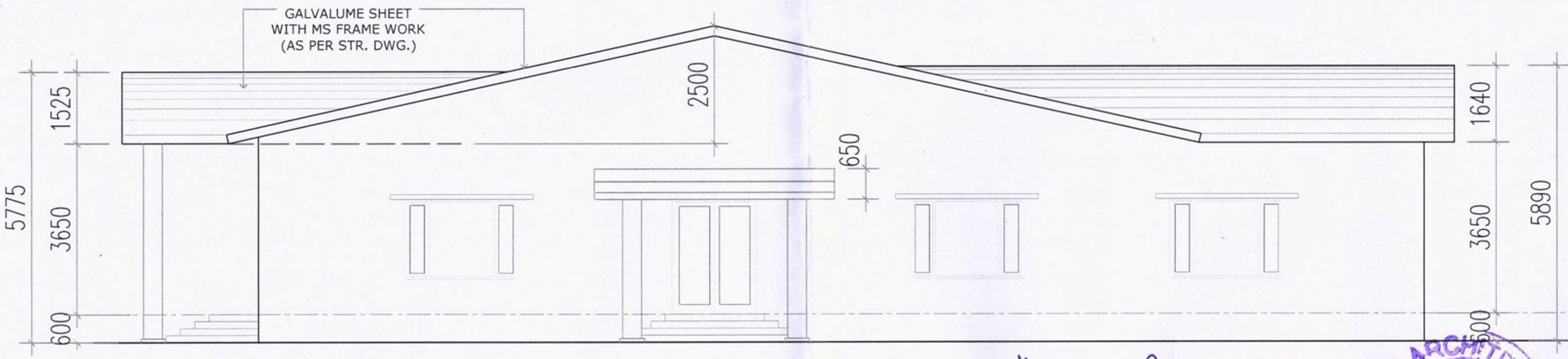

ELEVATION - Y-Y

PROJECT TITLE	DRAWING TITLE	REMARKS	REVISIONS		DATE	28.01.2023		STAGE
PROPOSED POLYTECHNIC AT CHOPTA, RUDRAPRAYAG (UTTARAKHAND)	POLYTECHNIC BUILDING - I ELEVATION -Y-Y & SECTIONAL ELEVATION -A-A (PHASE - I)	1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM.	REV. NO.	DATE	SCALE	1:100	RACHNA ARCHITECTS & DESIGNERS RUDRAPRAYAG	CONCEPT
		2. ALL DRAWINGS ARE TO BE READ ONLY AND NOT TO BE MEASURED.			DEALT			DRG. NO. CD-03
		3. THIS DRAWING SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH RELEVANT DETAILS, SECTIONS, ELEVATION AND ALL SERVICES DRAWINGS.			DESIGN			
		4. ANY DISCREPANCIES IN THE DRAWINGS OR AT SITE SHOULD BE BROUGHT TO THE ARCHITECT'S NOTICE IMMEDIATELY.						

UNIT INCHARGE
U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd.
Dehradun Unit - 1
Dehradun

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

RACHNA ARCHITECT ★ RUDRAPRAYAG ★

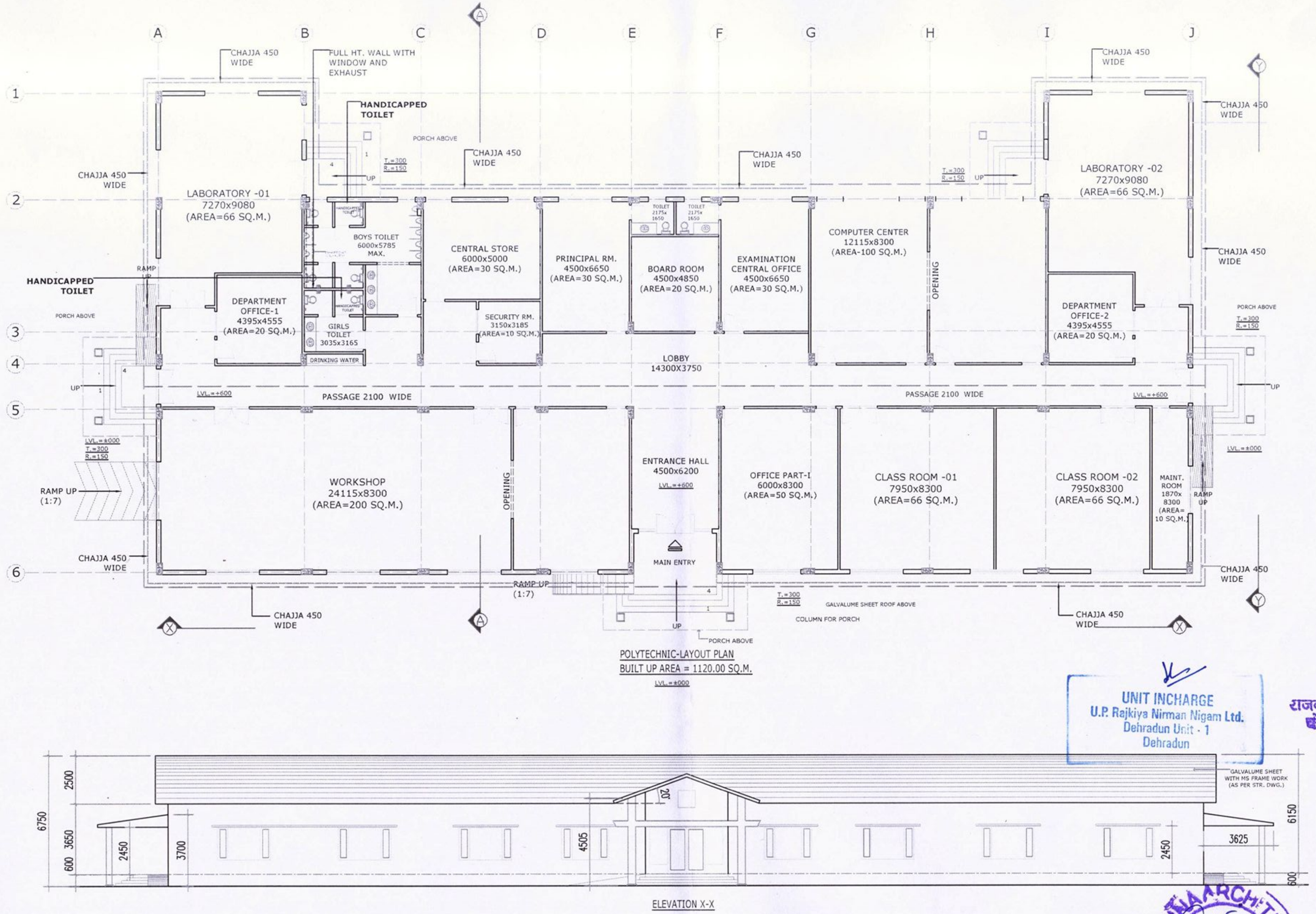

UNIT INCHARGE
U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd.
Dehradun Unit - 1
Dehradun

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रूद्रप्रयाग

RACHNA ARCHITECT RUDRAPRAYAG

PROJECT TITLE	DRAWING TITLE	REMARKS	REVISIONS		DATE	28.01.2023		STAGE
PROPOSED POLYTECHNIC AT CHOPTA, RUDRAPRAYAG (UTTARAKHAND)	POLYTECHNIC BUILDING - I GROUND FLOOR PLAN & ELEVATION (PHASE - I)	1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM.	REV. NO.	Date	SCALE	NTS,		W.D.
		2. ALL DRAWINGS ARE TO BE READ ONLY AND NOT TO BE MEASURED.			DEALT	MADHUKAR	RACHNA ARCHITECTS	DRG. NO. AR-02
		3. THIS DRAWING SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH RELEVANT DETAILS, SECTIONS, ELEVATION AND ALL SERVICES DRAWINGS.			DESIGN	SHIVAM		
		4. ANY DISCREPANCIES IN THE DRAWINGS OR AT SITE SHOULD BE BROUGHT TO THE ARCHITECT'S NOTICE IMMEDIATELY.						

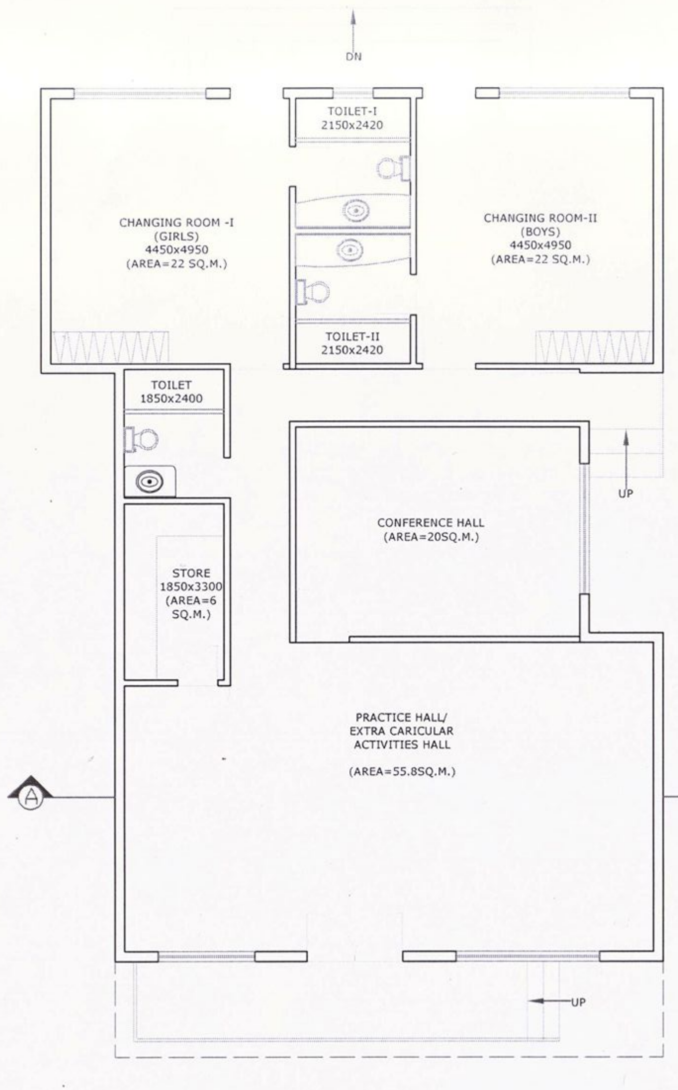

GROUND FLOOR PLAN

FRONT ELEVATION

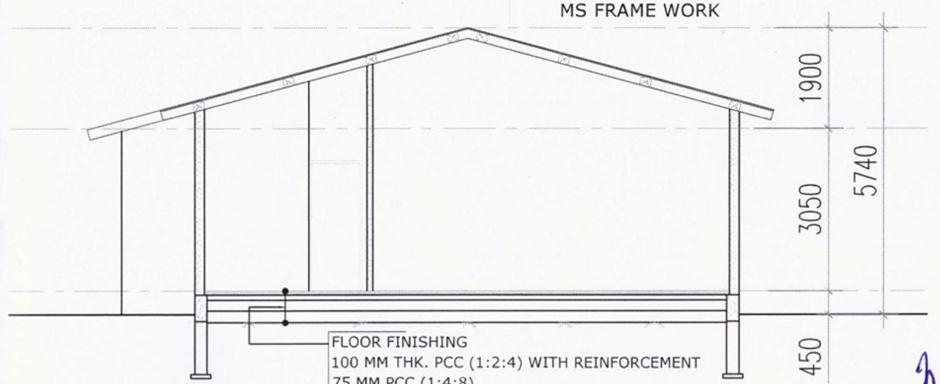

SECTION-A-A

UNIT INCHARGE
U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd.
Dehradun Unit - 1
Dehradun

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

TOTAL BUILT UP AREA =170 SQ.M.

PROJECT TITLE	DRAWING TITLE	REMARKS	REVISIONS		DATE	28.01.2023		STAGE CONCEPT
PROPOSED POLYTECHNIC AT CHOPTA, RUDRAPRAYAG (UTTARAKHAND) PHASE -II	MULTI-PURPOSE HALL - LAYOUT PLAN, ELEVATION & SECTION-A-A (PHASE - II)	1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM. 2. ALL DRAWINGS ARE TO BE READ ONLY AND NOT TO BE MEASURED. 3. THIS DRAWING SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH RELEVANT DETAILS, SECTIONS, ELEVATION AND ALL SERVICES DRAWINGS. 4. ANY DISCREPANCIES IN THE DRAWINGS OR AT SITE SHOULD BE BROUGHT TO THE ARCHITECT'S NOTICE IMMEDIATELY.	REV. NO.	DATE	SCALE	1:100	RACHNA ARCHITECTS	
					DEALT			DRG. NO. CD-08
					DESIGN			

RACHNA ARCHITECT RUDRAPRAYAG

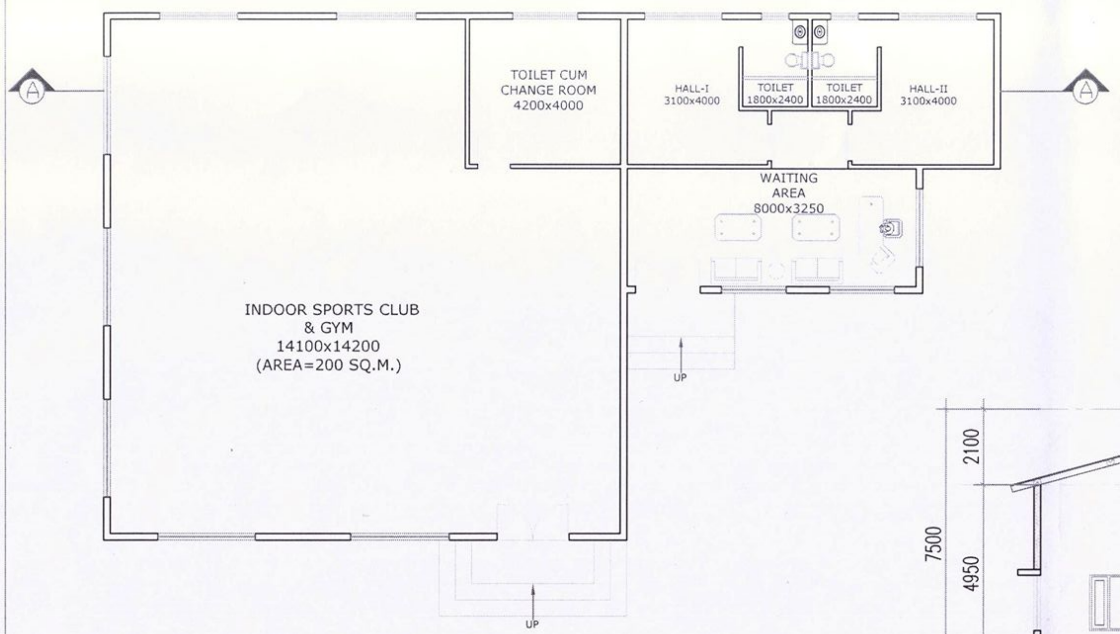

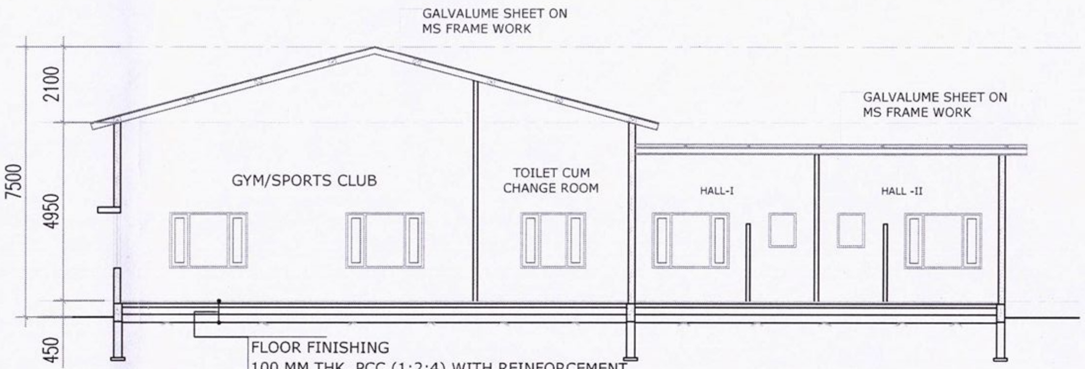

FLOOR FINISHING
100 MM THK. PCC (1:2:4) WITH REINFORCEMENT
75 MM PCC (1:4:8)
SAND
RAMMED EARTH

SECTION-A-A

FRONT ELEVATION

GYM/ INDOOR
SPORTS CLUB

UNIT INCHARGE
U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd.
Dehradun Unit - 1
Dehradun

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

TOTAL BUILT UP AREA =285 SQ.M.

PROJECT TITLE PROPOSED INDOOR SPORTS CLUB /GYM AT CHOPTA, RUDRAPRAYAG (UTTARAKHAND) PHASE -II	DRAWING TITLE LAYOUT PLAN INDOOR SPORTS CLUB / GYM ELEVATIONS SECTION	REMARKS 1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM. 2. ALL DRAWINGS ARE TO BE READ ONLY AND NOT TO BE MEASURED. 3. THIS DRAWING SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH RELEVANT DETAILS, SECTIONS, ELEVATION AND ALL SERVICES DRAWINGS. 4. ANY DISCREPANCIES IN THE DRAWINGS OR AT SITE SHOULD BE BROUGHT TO THE ARCHITECT'S NOTICE IMMEDIATELY.	REVISIONS REV. NO. / DATE	DATE: 28.01.2023 SCALE: NTS, DEALT: DESIGN:	RACHNA ARCHITECTS	STAGE CONCEPT DRG. NO. CD-07

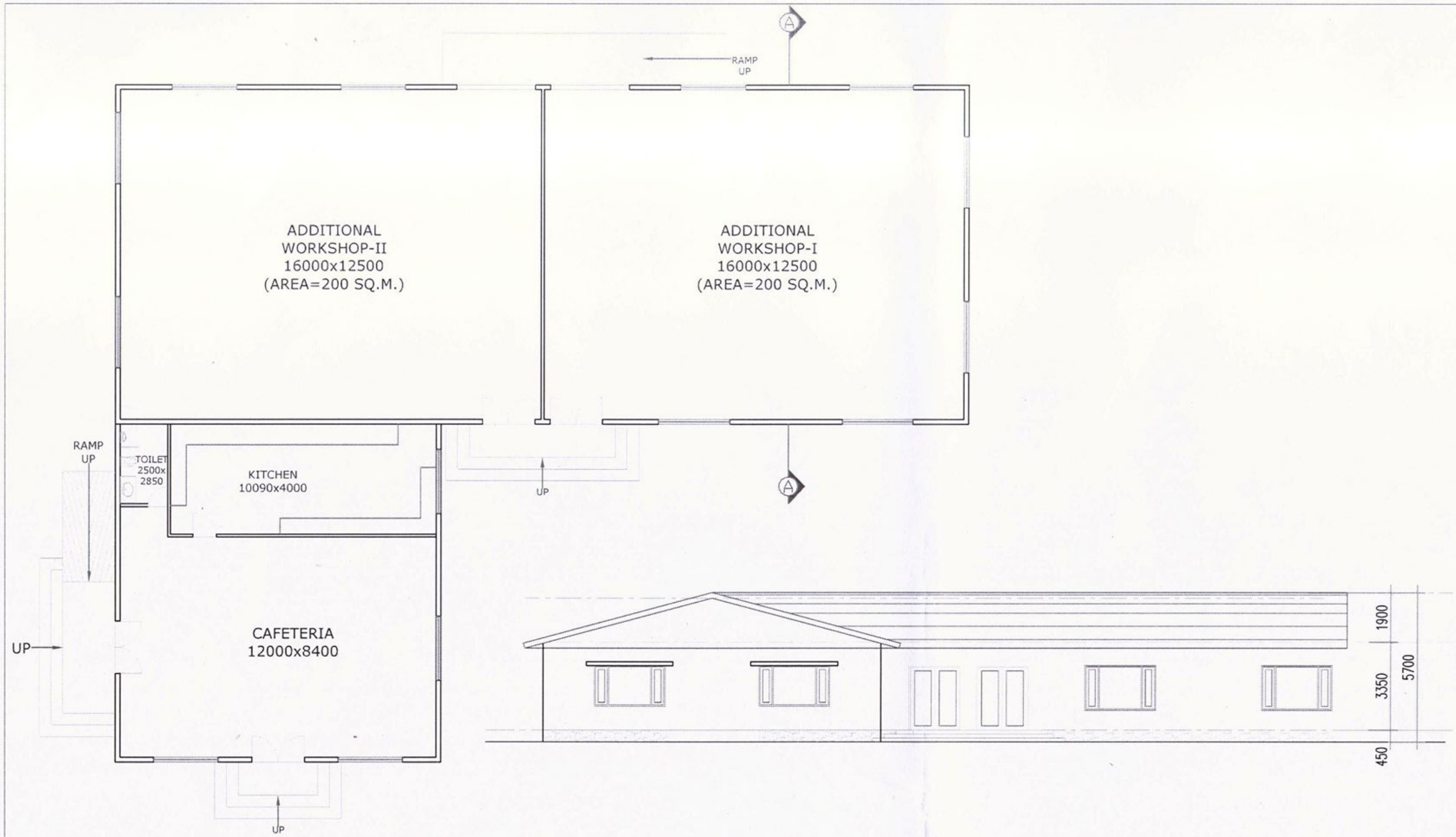

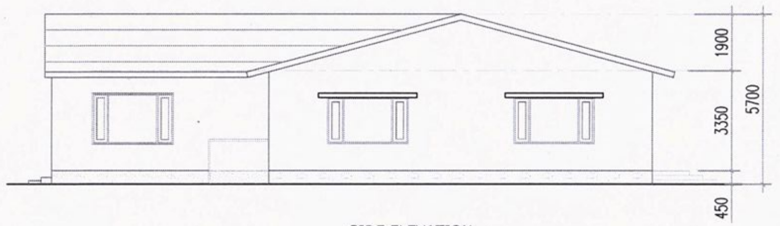

SIDE ELEVATION

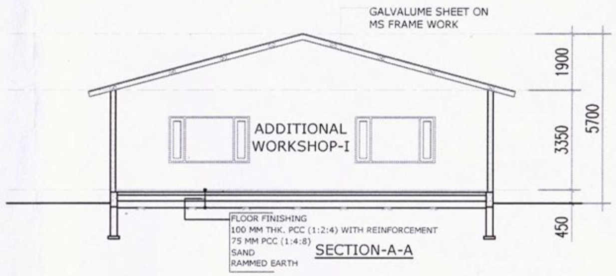

SECTION-A-A

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रूद्रप्रयाग

UNIT INCHARGE
U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd.
Dehradun Unit - 1
Dehradun

RACHNA ARCHITECT
AR. MADHU... DIVAN
CA/2019/1...
RUDRAPRAYAG

TOTAL BUILT UP AREA =575 SQ.M.

PROJECT TITLE	DRAWING TITLE	REMARKS	REVISIONS		DATE	28.01.2023		STAGE
PROPOSED POLYTECHNIC AT CHOPTA, RUDRAPRAYAG (UTTARAKHAND) PHASE -II	ADDITIONAL WORKSHOP - GROUND FLOOR PLAN & ELEVATIONS SECTION-A-A	1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM. 2. ALL DRAWINGS ARE TO BE READ ONLY AND NOT TO BE MEASURED. 3. THIS DRAWING SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH RELEVANT DETAILS, SECTIONS, ELEVATION AND ALL SERVICES DRAWINGS. 4. ANY DISCREPANCIES IN THE DRAWINGS OR AT SITE SHOULD BE BROUGHT TO THE ARCHITECT'S NOTICE IMMEDIATELY.	REV. NO.	DATE	SCALE	NTS,	RACHNA ARCHITECTS DESIGNERS RUDRAPRAYAG	CONCEPT
					DEALT			DRG. NO. CD–06
					DESIGN			

ATTACHMENT-04

Attachment-01

परियोजना का नाम :– जनपद रुद्रप्रयाग के विद्यानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु 100 नाली अर्थात 2.00 हे0 भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

परियोजना का औचित्य

मा0 अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 790/XLI-1/2013-79/13 दिनांक 22 अगस्त 2013 के द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के विद्यानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पालीटेक्निक संस्थान की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है, उक्त शासनादेशों की प्रतियां प्रस्ताव में संलग्न की जा रही है।

परियोजना का वन पंचायत भूमि में निर्माण किये जाने का औचित्य निम्नवत है –

- ❖ मा0 अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 790/XLI-1/2013-79/13 दिनांक 22 अगस्त 2013 के द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के विद्यानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पालीटेक्निक संस्थान के निर्माण हेतु वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है, उक्त स्वीकृति के अनुसार पालीटेक्निक का निर्माण चोपता (कुण्डादानकोट, तल्लानागपुर) स्थान में ही किया जाना है। उक्त प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त भूमि भी तलाशी गयी किन्तु क्षेत्र के आस–पास ग्राम स्तर पर निजि भूमि ,राजस्व भूमि, वन पंचायत भूमि इस परियोजना हेतु उपर्युक्त एवं उचित नही मिल पाई जिस कारण वन भूमि (सिविल सोयम भूमि) में ही उपर्युक्त एवं उचित एवं निकटवर्ती भूमि में ही पालीटेक्निक का निर्माण करवाया जाना अपरिहार्य है। (शासनादेश संलग्न व छाया प्रति संलग्न)
- ❖ जनपद रुद्रप्रयाग के अर्न्तगत कुल वन पंचायत भूमि, कुल राजस्व व सिविल सोयम भूमि, कुल निजि भूमि तथा कुल आरक्षित वन भूमि के क्षेत्रफल का विवरण निम्नवत है ।

क्र0 स0	त्हसील	कुल वन पंचायत भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर0मे0)	कुल राजस्व व सिविल सोयम भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर0मे0)	कुल निजी भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर0मे0)	कुल आरक्षित वन का क्षेत्रफल (हैक्टेयर0मे0)
01	**रुद्रप्रयाग**	7464.036	8852.540	8656.982	127838.26
2	**जखोली**	667.889	3367.723	4351.768	
3	**ऊखीमठ**	10413.495	984.380	4758.030	
4	**ब्सुकेदार**	909.228	2093.053	2541.564	
5	**कुल क्षेत्रफल जिला–रुद्रप्रयाग**	19454.648	15297.696	20308.344	

उक्त परियोजना हेतु तल्लानागपुर क्षेत्र में निजी स्तर पर, ग्राम क्षेत्र में, राजस्व क्षेत्र में उपयुक्त एवं उचित भूमि उपलब्ध न होने के कारण ही परियोजना का निर्माण चयनित स्थल कुण्डादानकोट में किया गया । (प्रमाण पत्र संलग्न)

- ❖ जनपद का लगभग 80 प्रतिशत भू–भाग वन भूमि की परिधि में आता है एवं जिस पर वन अधिनियम लागू होता है, बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु अन्य कोई भूमि उपलब्ध न होने के कारण उक्त

सिविल सोयम भूमि चयन अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है। जिस हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत गठित कर, स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

- ❖ वन विभाग, राजस्व विभाग व प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा भी प्रस्तावित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें उपलब्ध भूमि पॉलीटेक्निक के निर्माण हेतु उपयुक्त एवं उचित पायी गयी है । (छायाप्रति संलग्न)
- ❖ A.I.C.T.E. के मानकानुसार ग्रामीण स्तर पर पालीटेक्निक की स्थापना हेतु कुल 1.62 (02 Approx) है0 या उससे अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। चूकि चयनित स्थल में 02 है0 भूमि की उपलब्धता एक Patch में नही हो पाई इसलिए मानको को पूर्ण करने हेतु उक्त भूमि कुल तीन अलग–अलग Patches में चयनित की गयी है।

TOTAL AREA (IN HECTARE)	PATCH NO I	PATCH NO II	PATCH NO III	Total
	1.10	0.04	0.860	2.00

उक्त प्रस्तावित कुल 2.00 है0 भूमि का सम्पूर्ण क्षेत्रफल ले–आउट प्लान में दर्शाया गया है ।

- ❖ संस्था निर्माण हेतु चयनित भूमि के तीनों Patches आस–पास है, जिनकी पारस्परिक दूरी Patch wise निम्नवत है

क्र0स0	Patches का विवरण	दूरी
01	PATCH NO I से PATCH NO II	लगभग 200 मीटर
02	PATCH NO II से PATCH NO III	लगभग 1.3 किमी0
03	PATCH NO I से PATCH NO III	लगभग 1.0 किमी0

- ❖ संस्था निर्माण हेतु चयनित तीनों Patches अधिक दूरी पर स्थित नही है। चूंकि Patch I में Building I का निर्माण Phase I में होना है। तथा Patch III में Building II का निर्माण कार्य प्रस्ताव के Phase II में होना है। अतैव Patch III की भूमि उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु उपर्युक्त एवं उचित है, Patch I व Patch II के आस–पास 1 किमी0 की रेंज में Patch III हेतु उपर्युक्त एवं उचित संसाधनों युक्त भूमि उपलब्ध नही है। उपयुक्त एवं उचित भूमि की उपलब्धता उपरोक्त 03 Patches में ही सम्भव हो पाई है।
- ❖ पूर्व में Patch I (1.10 है0) Building I (1120 Sqm) पर त्रुटिवश निर्माण कार्य शुरु किया गया, जिसकी सूचना मिलते ही निमाण कार्य रोक दिया गया था। आतिथि तक निमार्ण कार्य पूर्णतः रूका हुआ है। पालीटेक्निक का निर्माण उ0प्र0रा0निर्माण निगम लि0 के द्वारा किया जाना है, संस्था द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी पत्र निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु जारी नही किया गया है। निर्माणकारी संस्था द्वारा बिना किसी पूर्व आदेश एवं सूचना के ही patch I मे निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था, मामला संज्ञान में आने पर तत्कालीन प्रधानाचार्य द्वारा भी बार–बार निर्माण एजेन्सी को पत्र लिखकर भूमि हस्तांतरण के पश्चात ही निर्माण कार्य शुरु किये जाने हेतु कहा गया, वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्युमिनि वन क्षेत्र के पत्रांक 260 / 12 दिनांक 23 अक्टूबर 2015 के द्वारा संस्था को बिना भूमि हस्तांतरण के निर्माण कार्य कराये जाने का स्पष्टीकरण मांगा गया है एवं तत्कालीन प्रधानाचार्य द्वारा निर्माण एजेन्सी को पत्र लिखकर वनविभाग के द्वारा लगाये गए आपत्ति से अवगत कराया गया एवं तत्काल ही निर्माण कार्य रोकने को कहा गया । वन विभाग के द्वारा आपति लगाये जाने के पश्चात कोई भी निर्माण कार्य नही करवाया गया एवं आतिथि तक निर्माण कार्य रुका हुआ है । (छायाप्रति संलग्न)

- चयनित भूमि के आस–पास उचित एवं उपयुक्त गैर वन भूमि उपलब्ध नही है एवं आस–पास के ग्राम स्तर पर, राजस्व स्तर पर, निजी स्तर पर भूमि की तलाश की गई, परन्तु निकटवर्ती स्थलो में पालीटेक्निक की स्थापना हेतु उचित एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नही पायी गयी। आस–पास के 4 ग्राम प्रधानों द्वारा हस्ताक्षरित उपयुक्त निजि भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र, राजस्व भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र इस समबन्ध में संलग्न किये गये हैं । (छायाप्रति संलग्न)
- पालीटेक्निक के निर्माण हेतु कुण्डादानकोट क्षेत्र मे अन्य कोई निजी भूमि उपलब्ध न होने के कारण सिविल एवं सोयम भूमि की स्वीकृति लेने के अलावा और कोई विकल्प शेष नही है। जिला प्रशासन द्वारा चोपता के निकट ही ग्राम कुण्डादानकोट नामक स्थान पर भूमि का चयन किया गया है, जो कि वर्तमान में वन पंचायत का हिस्सा है तथा रुद्रप्रयाग वन प्रभाग की कुण्डादानकोट राजि के अन्तर्गत आता है।
- पालीटेक्निक के निर्माण हेतु आस–पास के ग्राम स्तर पर कोई निजी भूमि उपलब्ध नही है। (छायाप्रति संलग्न)
- पालीटेक्निक के निर्माण हेतु राजस्व क्षेत्र में गैर वानिकी स्तर पर कोई भूमि उपलब्ध नही है। (छायाप्रति संलग्न)
- उक्त चयनित वन भूमि मोटर मार्ग के किनारे स्थित है एवं साथ ही बिजली, पानी की भी उपलब्धता है। जिससे पालीटेक्निक में अध्ययन करने वाले छात्र–छात्राओं, अध्यापकों एवं स्टॉफ को यातायात, बिजली एवं पानी की भी सुविधा प्राप्त होगी।
- चयनित स्थल का भू–वैज्ञानिक द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा भी प्रस्ताावित स्थल को पालीटेक्निक के भवनों के निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया । (छायाप्रति संलग्न)
- चयनित सिविल सोयम भूमि पालीटेक्निक के निर्माण हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित करने में समस्त ग्रामवासी भी सहमत है।
- पालीटेक्निक का निर्माण चोपता (तल्लानागपुर) स्थान मे ही किया जाना है, जिससे इसके आस–पास के छात्र –छात्राओं को तकनीकी शिक्षा का लाभ मिलेगा, एवं रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेगें ।
- पालीटेक्निक के निर्माण होने के पश्चात उपरोक्त वन भूमि विकसित होगी, जिससे वन्य क्षेत्र को लाभ प्राप्त होगें ।
- उपरोक्त सभी कारणों से चयनित स्थल पालीटेक्निक के निर्माण के लिए अति उपयुक्त पाया गया है।

ह0/

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुदप्रयाग ।

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

ह0/

प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता
रुद्रप्रयाग

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग